

परिशिष्ट



## परिशिष्ट 1

### (अध्याय – 1 का संदर्भ लें)

#### अधिनियम/नियम के प्रासंगिक प्रावधानों का सार

| धारा/ नियम                              | विषय-वस्तु/सार   |
|---|--|
| <b>आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी</b> |  |
| <b>उप-धारा(1)</b>                       | जहां किसी आय के निर्धारण के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या निर्धारण से बच गई किसी आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कर निर्धारण अधिकारी की राय है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, महानिदेशक या निदेशक, के पूर्व अनुमोदन से, लिखित रूप में आदेश द्वारा, दूसरी अनुसूची में प्रदान किए गए तरीके से निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति की अनंतिम रूप से कुर्की कर सकता है। |
| <b>उप-धारा(2)</b>                       | इस प्रकार की अनंतिम कुर्की की अवधि के लिए <u>छह महीने</u> की समय सीमा निर्धारित करता है, जिसे <b>निर्धारण के समापन के बाद अधिकतम दो साल या साठ दिनों<sup>75</sup></b> , जो भी बाद में हो, की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।  |
| <b>उप-धारा(3)<sup>76</sup></b>          | यदि निर्धारिती बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है जिसका मूल्य संपत्ति के एफएमवी से कम न हो, तो निर्धारण अधिकारी (नि.व.) द्वारा लिखित रूप में अनंतिम कुर्की रद्द की जा सकती है।   |
| <b>उप-धारा(4)</b>                       | निर्धारण अधिकारी अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति को एफएमवी निर्धारित करने के लिए निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को भेज सकता है, जो संदर्भ प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।   |
| <b>उप-धारा(5)</b>                       | जिन मामलों में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया जाता है, उनमें बैंक गारंटी प्राप्त होने से 45 दिनों के भीतर निरसन आदेश पारित किया जाना चाहिए और अन्य मामलों में 15 दिनों के भीतर।  |
| <b>उप-धारा(6)</b>                       | बैंक गारंटी को पूरे या आंशिक कर की मांग की वसूली के लिए लागू किया जा सकता है, यदि निर्धारिती मांग नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर इसका भुगतान करने में विफल रहता है।   |
| <b>उप-धारा(7)</b>                       | बैंक गारंटी उन मामलों में लागू की जाएगी जहां निर्धारिती मौजूदा बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने में विफल रहता है या इसकी समाप्ति से 15 दिनों के भीतर नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।  |
| <b>उप-धारा(8)</b>                       | बैंक गारंटी को लागू करके वसूली गई राशि को निर्धारिती द्वारा देय मौजूदा मांग के साथ समायोजित किया जाएगा और शेष राशि प्र. सीआईटी के पीडी खाते में जमा की जाएगी।  |
| <b>उप-धारा(9)</b>                       | बैंक गारंटी जारी की जा सकती है, जहां निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।   |

<sup>75</sup> वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा सम्मिलित, दिनांक 01/10/2014 से लागू।

<sup>76</sup> वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 281बी की उप-धारा (3) से (9) सम्मिलित किए गए, दिनांक 01.06.2016 से लागू।

| धारा/ नियम   | विषय-वस्तु/सार  |
|--|---|
| <b>आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची (लागू नियम)</b> |   |
| <b>नियम 1 (डी)</b>                                     | परिभाषाएँ: "चल संपत्ति" में फसलों की खेती शामिल हैं।  |
| <b>नियम 10</b>   | कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति   |
| <b>नियम 12</b>   | संतुष्टि पर कुर्की को हटाना (अर्थात्, लागत के साथ देय राशि का भुगतान और कुर्की के परिणामस्वरूप सभी प्रभार और व्यय)।   |
| <b>नियम 25</b>   | कुर्की के अंतर्गत कृषि उपज से संबंधित प्रावधान  |
| <b>नियम 26</b>   | ऋण और शेरों आदि की कुर्की।  |
| <b>नियम 27</b>   | डिक्री की कुर्की  |
| <b>नियम 28</b>   | चल संपत्ति में हिस्सा   |
| <b>नियम 30</b>   | परक्राम्य यंत्र की कुर्की   |
| <b>नियम 31</b>   | न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में संपत्ति की कुर्की   |
| <b>नियम 32</b>   | साझेदारी संपत्ति की कुर्की।   |
| <b>नियम 48</b>   | अचल संपत्ति की कुर्की   |
| <b>अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान</b>              |   |
| <b>धारा 132 (1) / (4) / (9बी)</b>                      | आयकर विभाग की जांच शाखा के अधिकृत अधिकारी को आय छिपाने की संभावना के बारे में प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारितियों के एक विशेष समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाने, निर्धारिती के बयान दर्ज करने और छह महीने तक की अवधि के लिए निर्धारिती की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने का अधिकार देता है। |
| <b>धारा 245 सी</b>                                     | निर्धारिती को लंबित निर्धारण मामलों, यदि कोई हो, के निपटान के लिए आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति देता है।   |
| <b>धारा 153ए/153 सी के साथ पठित धारा 143(3)</b>        | तलाशी और जब्ती मामलों में संवीक्षा निर्धारण।  |

## परिशिष्ट 2

### (अध्याय 1 का संदर्भ लें)

### अनंतिम कुर्की से संबंधित मंत्रालय/सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों का सार

| क्र. सं. | परिपत्र/ अनुदेश   | विषय-वस्तु   |
|----------|---|--|
| 1        | परिपत्र सं. 175<br>दिनांक<br>14/08/1975                             | कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत नई धारा 281बी सम्मिलित की गई।   |
| 2        | परिपत्र सं. 179<br>दिनांक<br>30/09/1975                             | आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 281बी (संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 74 के अनुसार) से संबंधित प्रावधानों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जो दिनांक 01/10/1975 से लागू हुई।  |
| 3        | अनुदेश सं. 1884<br>दिनांक<br>07/06/1991                             | बोर्ड चाहता है कि निर्धारण अधिकारियों को हमेशा उपरोक्त धारा के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए और सभी उपयुक्त मामलों में अनंतिम कुर्की करनी चाहिए।  |
| 4        | अनुदेश सं. 8<br>दिनांक<br>02/09/2004                                | उच्च मांग वाले मामलों में मांग की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम: (क) मौद्रिक सीमाएं (महानगर और गैर-महानगर); (ख) धारा 222/226 के अंतर्गत अनंतिम कुर्की को नियमित कुर्की में परिवर्तित करना; (ग) निर्धारण अधिकारी द्वारा नोट की जाने वाली परिसंपत्तियों का विवरण (और तलाशी और जब्ती के मामलों में जांच विंग अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन रिपोर्टों में भी); (घ) संवीक्षा मामलों की आवधिक समीक्षा में प्र.सीआईटी द्वारा अनंतिम कुर्की पर टिप्पणी करना। |
| 5        | अनुदेश एफ. सं.<br>404/22/2004-<br>आईटीसीसी,<br>दिनांक<br>5/11/2004. | 02/09/2004 की अनुदेश संख्या 8 का स्पष्टीकरण - धारा 281बी के प्रावधानों का संदर्भ केवल उन मामलों में लिया जाना चाहिए जहां परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता के कारण वसूली मुश्किल होने की संभावना है। अन्य मामलों में, असाधारण परिस्थितियों में भी ऐसा ही करना चाहिए।  |
| 6        | परिपत्र सं. 01<br>दिनांक<br>21/01/2015.                             | वित्त अधिनियम, 2014 के प्रावधानों की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - धारा 281बी(2) के अंतर्गत परंतुक में संशोधन - अनंतिम कुर्की की अवधि को निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख के बाद अधिकतम दो वर्ष या साठ दिनों, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाया जाना।  |
| 7        | परिपत्र सं. 03<br>दिनांक<br>20/01/2017.                             | 01/06/2016 से वित्त अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - धारा 281बी के अंतर्गत उप-धारा (3) से (9) को सम्मिलित करना - (क) अनंतिम कुर्की को रद्द करने के बदले बैंक गारंटी का प्रावधान, कुर्क संपत्ति का उचित बाजार मूल्य   |

| क्र. सं. परिपत्र/ अनुदेश   | विषय-वस्तु   |
|--|--|
|  | <p>निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ, कर मांग के भुगतान में चूक के मामलों में बीजी लागू करना, बीजी का नवीनीकरण न करना या नए सिरे से जमा न करना और बीजी जारी करना; (ख) धारा 281बी(1) के अंतर्गत केवल धारा 132(5) के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के लिए धारा 281बी की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण नहीं देना ।</p> |
| <p>8 प्र. सीसीआईटी को आयकर निदेशालय (वसूली एवं टीडीएस) से पत्र दिनांक 06/09/2017</p> | <p>सरफेसी अधिनियम, 2002 में परिवर्तन (अगस्त 2016 में संशोधित) - भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ उनके द्वारा जारी किसी भी संपत्ति का कोई आदेश या कुर्की (सरफेसी अधिनियम की धारा 26 बी (4) के अंतर्गत) दर्ज करना अनिवार्य है।</p>                      |

## परिशिष्ट 3

### (अध्याय 1 का संदर्भ लें)

#### अनंतिम कुर्की से संबंधित मामलों के कानून/न्यायिक निर्णय का सार

| क्र. सं. | निर्णय विधि की सं.   | प्राधिकार                          | न्यायिक निर्णय का सार   |
|----------|--|------------------------------------|---|
| 1        | डुओ मीडोज (पी) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी                                 | कर्नाटक उच्च न्यायालय              | अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश निर्धारण के आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं हुआ है (कानून के विपरीत)।   |
| 2        | शिवानन्द मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसीआईटी कंपनी सर्कल-4(2), कॉयम्बटूर | मद्रास उच्च न्यायालय (10/03/2020)  | आदेश में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि उक्त आदेश केवल छह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। जब ऐसी स्थिति है, तो इस न्यायालय की राय है कि इस रिट याचिका में निर्णय के लिए अभी के लिए कुछ भी शेष नहीं है।   |
| 3        | सारथी मजुमदार बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य                                 | कलकत्ता उच्च न्यायालय (27/04/2015) | याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि <b>कर निर्धारण अधिकारी के पास याचिकाकर्ता की आय का निर्धारण पूरा करने पर मांग उठाने के साथ-साथ अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने का उचित अधिकार था।</b> वास्तव में, संबंधित अधिकारी की सराहना की जानी चाहिए कि उसने मांग पूरी की जाने तक राजस्व के हितों की रक्षा के लिए सही कदम उठाया। हालांकि, इस आदेश के बावजूद, यह याचिका दायर करने वाले निर्धारित के ऊपर होगा कि वह बैंक को मांगे गए भुगतान को शामिल करने वाले चेक का भुगतान करने की अनुमति देने के सीमित उद्देश्य के लिए संबंधित आयकर अधिकारी से संपर्क करे। |
| 4        | वोडाफोन आईडिया लिमिटेड बनाम डीसीआईटी, सीपीसी                             | बॉम्बे उच्च न्यायालय (03/09/2019)  | धारा 281बी निर्धारण अधिकारी को निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा होने से पहले ही किसी निर्धारित की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देती है। इस प्रकार ये शक्तियां निर्णय से पहले कुर्की की प्रकृति की हैं। इसलिए, ऐसी शक्तियों का उपयोग उचित कारणों से उचित मामलों में किया जाना चाहिए। ऐसी शक्तियों का उपयोग केवल धारा में उपयोग किए गए वाक्यांशों को दोहराकर और ऐसे आदेश पारित करने वाले  |

| क्र. सं. | निर्णय विधि की प्राधिकार सं.                        | न्यायिक निर्णय का सार  |
|----------|---|--|
|          |   | अधिकारियों की राय दर्ज कर के कि वह राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से संतुष्ट थे, इसलिए ऐसा करना आवश्यक था, नहीं किया जा सकता।  |
| 5        | सी रामासुब्रामनियम बनाम डीसीआईटी                    | एनसीएलटी, एकल न्यायपीठ, चेन्नई (02/07/2019)  |
|          |   | छह महीने की समय अवधि समाप्त हो गई है। निर्धारिती/कॉरपोरेट देनदार परिसमापन के अधीन है। इस प्रकार, कुर्की आदेश को बढ़ाया नहीं जा सकता।   |
| 6        | डाबर इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन बनाम अपर सीआईटी            | दिल्ली उच्च न्यायालय (31/07/2019)  |
|          |   | मंत्रालय/सीबीडीटी के दिनांक 30 सितंबर, 1975 के परिपत्र सं.179 में अधिनियम की धारा 281बी को शामिल करने का उद्देश्य निर्धारित करते हुए निम्न को स्पष्ट किया गया था- "यह प्रावधान उन मामलों में राजस्व के हितों की रक्षा के लिए किया गया है जहां जांच के कारण मांग बढ़ाने में समय लगने की संभावना है और आशंका है कि निर्धारिती उस मांग के अंतिम संग्रहण को अवरुद्ध कर सकता है।<br>इस आदेश में जांच पूरी होने में समय लगने की कोई बात नहीं कही गई है। दूसरी ओर, जैसा कि मोटोरोला सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीआईटी (पूर्व) में समझाया गया है कि एक बार निर्धारण पूरा हो जाने के बाद, अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत आदेश को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं होगा।<br>यह इस व्याख्या का समर्थन करता है कि यह केवल तब तक है जब तक कि निर्धारण आदेश पारित करके यह वास्तविक मांग सृजित नहीं की जाती है कि अनंतिम कुर्की आदेश परिचालन में रहेगा। |
| 7        | अबुल कलाम बनाम एसीआईटी सर्कल 8(1), कोलकाता एवं अन्य | कलकत्ता उच्च न्यायालय (27/01/2020)   |
|          |   | वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ₹ 74.5 करोड़ की कर योग्यता एक विवादास्पद मामला है। आयकर अधिकारी ने पहले धारा 28 (iv) के अंतर्गत राशि वसूलकर और उसके बाद, धारा 28 (ii) (ए) के अंतर्गत राशि वसूलकर गोल पोस्ट को बदल दिया। ऐसी स्थिति में जहां अधिकारी स्वयं कर योग्यता के बारे में निश्चित नहीं है, धारा 281बी जैसे प्रबल प्रावधान का उपयोग मान्य नहीं है। इसके अलावा, कुर्की नोटिस   |



| क्र. सं. | निर्णय विधि की सं.                   | प्राधिकार                             | न्यायिक निर्णय का सार   |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
|          |                                      |                                       | में कोई कारण नहीं बताया गया है। श्री त्रिवेदी का यह निवेदन कि कर की राशि बड़ी है और इसलिए अनंतिम कुर्की की गई है, यह एक पर्याप्त कारण नहीं है और इस न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिया जाता है। यदि उपरोक्त कारण को स्वीकार कर लिया जाता है तो उच्च मांगों के सभी मामलों में, अनंतिम कुर्की मानक बन जाएगी। मैं तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, और इसलिए, कुर्की आदेश को रद्द कर के अलग कर दिया जाता है।   |
| 8        | सीआईटी बनाम टी.सैथिल कुमार           | मद्रास उच्च न्यायालय-मद्रुरै न्यायपीठ | अधिनियम की धारा 220 से 232 के अंतर्गत निहित प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXIII के प्रावधानों से अलग हैं, जो धारा 281 से 298 में 'विविध' से संबंधित है। विविध शीर्षक के अंतर्गत अध्याय XXIII (28/03/2019) के प्रावधान अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। इसलिए, सम्मानीय विद्वान सिंगे न्यायाधीश ने कहते हुए गलती की है कि अधिनियम की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की भी अधिनियम की धारा 156 के अंतर्गत मांग के लिए नोटिस दिए बिना नहीं की जा सकती है। इस सीमा तक, अपीलकर्ता/राजस्व के विद्वान वकील की दलील स्वीकार की जानी चाहिए और अपील के अंतर्गत आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। |
| 9        | जेएसआर इंफ्रा डेवेलपर्स बनाम एसीआईटी | मद्रास उच्च न्यायालय (06/08/2019)     | इस न्यायालय की माननीय संपूर्ण न्यायपीठ के आदेश पर विचार करते हुए इस न्यायालय को राजस्व वकील द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि माननीय संपूर्ण न्यायपीठ का आदेश आयकर विभाग के उस संपत्ति को कुर्क करने के अधिकारों पर कोई रोक नहीं लगाता है जिसे पहले ही प्रतिभूतिकृत किया जा चुका है यदि आयकर विभाग पहले से ही प्रतिभूतिकृत संपत्ति को कुर्क करने का विकल्प चुनता है। कुर्की के बाद आयकर विभाग द्वारा कुर्की से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह इस तरह के प्रतिभूतिकरण और उसके अंतर्गत लेनदार के अधीन होता है।  |

| क्र. सं. | निर्णय विधि की प्राधिकार सं.                           | न्यायिक निर्णय का सार  |
|----------|--|--|
| 10       | केएसआईआईडीसी कर्नाटक उच्च न्यायालय सीआईटी (13/03/2013) | यद्यपि प्रतिवादी के वकील आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 93 की ओर इंगित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उक्त अनुसूची में कुछ भी अधिनियम के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति पर कर पहला प्रभार है, वह आयकर अधिनियम के ऐसे किसी भी प्रावधान का उल्लेख करने में असमर्थ है जिसके अंतर्गत आयकर देय को निर्धारितियों की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 281 का संदर्भ भी निर्धारितियों की परिसंपत्तियों पर आयकर विभाग के पक्ष में एक पूर्व प्रभार के निर्माण को स्थापित करने की दिशा में नहीं है, क्योंकि धारा के अंतर्गत जो विचार किया गया है, वह निर्धारण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान हस्तांतरण के कुछ संव्यवहार के शून्य होने के संबंध में है। |

**परिशिष्ट 4क**

(पैरा 2.5 का संदर्भ लें)

ऐसे मामलों की सूची जहाँ धारा 281बी के अंतर्गत आदेश प्रस्तुत नहीं किए गए थे

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम (पैन) | नि.व.                 | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार<br>[निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार]            |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|
| 1        | श्री एस51               | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1,<br>भुवनेश्वर] |
| 2        | श्री एस52               | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1,<br>भुवनेश्वर] |
| 3        | श्रीमति बी16            | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम [केन्द्रीय सर्कल -1,<br>भुवनेश्वर] |
| 4        | मैसर्स ई1               | 2015-16               | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई<br>[केन्द्रीय सर्कल 6(1), मुंबई]           |

**परिशिष्ट 4ख**

(पैरा 2.5 का संदर्भ लें)

उन मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी

| प्र.सीआईटी का क्षेत्राधिकार        | निर्धारण<br>अधिकारियों<br>की सं. | समीक्षा अवधि<br>के दौरान धारा<br>281बी के<br>अंतर्गत जारी<br>किए गए<br>आदेशों<br>की सं. | धारा 281बी के<br>अंतर्गत आदेशों<br>की सं. जिनमें<br>लेखापरीक्षा को<br>मूल्यांकन रिपोर्ट<br>उपलब्ध नहीं कराई<br>गई थी: |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1                                  | 2                                | 3   | 4   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली   | 04                               | 11  | 09  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली   | 04                               | 30  | 30  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली   | 06                               | 41  | 29  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल      | 02                               | 26  | 26  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता  | 03                               | 07  | 05  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, कोलकाता | 01                               | 06  | 06  |

| प्र.सीआईटी का क्षेत्राधिकार             | निर्धारण अधिकारियों की सं. | समीक्षा अवधि के दौरान धारा 281बी के अंतर्गत जारी किए गए आदेशों की सं. | धारा 281बी के अंतर्गत आदेशों की सं. जिनमें लेखापरीक्षा को मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी: |
|---|----------------------------|---|---|
| 1                                       | 2                          | 3   | 4   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, मुंबई        | 04                         | 09  | 09  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई        | 05                         | 11  | 11  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई        | 04                         | 16  | 16  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई       | 06                         | 34  | 01  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई       | 04                         | 34  | 34  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची          | 02                         | 07  | 04  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु        | 10                         | 30  | 09  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद        | 07                         | 25  | 00  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम | 01                         | 05  | 05  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद        | 05                         | 33  | 04  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान        | 01                         | 03  | 03  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़         | 02                         | 22  | 16  |
| <b>कुल</b>                              | <b>71</b>                  | <b>350</b>  | <b>217</b>  |

## परिशिष्ट 5

(पैरा 3.2.1(i) का संदर्भ लें)

प्र.सीआईटी के विवरण जहां धारा 281बी आदेशों में प्र.सीआईटी की अनुमोदन तिथि / आदेश संख्या शामिल थी

| प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार             | निर्धारण अधिकारियों की सं. | जारी किए गए 281बी आदेशों की कुल सं. | प्र.सीआईटी की अनुमोदन तिथि / आदेश संख्या शामिल करने वाले 281बी आदेशों की सं. |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1                                    | 2                          | 3                                   | 4  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली     | 4                          | 11                                  | 11   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली     | 4                          | 30                                  | 30   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली     | 6                          | 41                                  | 36   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल        | 2                          | 26                                  | 26   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता    | 3                          | 7                                   | 1  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, कोलकाता   | 1                          | 6                                   | 0  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, मुंबई     | 4                          | 9                                   | 8  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 3, मुंबई     | 5                          | 11                                  | 11   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 4, मुंबई     | 4                          | 16                                  | 10   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई    | 6                          | 34                                  | 34   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई    | 4                          | 34                                  | 29   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची       | 2                          | 7                                   | 1  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बंगलुरु      | 10                         | 30                                  | 27   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद     | 7                          | 25                                  | 18   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम | 1                          | 5                                   | 0  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद     | 5                          | 33                                  | 33   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान     | 1                          | 3                                   | 3  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़      | 2                          | 22                                  | 22   |
| <b>कुल</b>                           | <b>71</b>                  | <b>350</b>                          | <b>300</b>   |

## परिशिष्ट 6क

[पैरा 3.2.1(ii) का संदर्भ लें]

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जिसमें दिनांक और/ या आदेश संख्या के संदर्भ में प्र.सीआईटी का अनुमोदन दर्ज नहीं किया गया है

| क्र. सं.  | निर्धारिती का नाम            | नि.व.              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)       |
|---|------------------------------|--------------------|--|
| <b>(i) तीन मामले जहां प्र.सीआईटी के अनुमोदन का संदर्भ 281बी आदेश(ओं) में इंगित नहीं किया गया था।</b>  |                              |                    |  |
| 1   | मैसर्स बी8 लिमिटेड           | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर) |
| 2   | मैसर्स बी7                   | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर) |
| 3   | मैसर्स एस32                  | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर) |
| <b>(ii) 47 मामले जहां 281बी आदेशों में बिना विवरण अर्थात आदेश सं / ऐसे अनुमोदन की तारीख दिये केवल प्र.सीआईटी के अनुमोदन का संदर्भ उपलब्ध था</b> |                              |                    |  |
| 4   | श्रीमति वी2                  | 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)    |
| 5   | मैसर्स बी16 प्राइवेट लिमिटेड | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)    |
| 6   | श्री वी22                    | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई)    |
| 7   | श्री सी1                     | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(4), चेन्नई)    |
| 8   | मैसर्स ए35 प्राइवेट लिमिटेड  | 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-2(2), चेन्नई)    |
| 9   | श्रीमति आर24                 | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)     |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम            | नि.व.              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)      |
|----------|------------------------------|--------------------|---|
| 10       | श्रीमति आर23                 | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)    |
| 11       | श्री ए18                     | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)    |
| 12       | श्री एन10                    | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 26, दिल्ली)    |
| 13       | श्री ए44                     | 2009-10 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 28, दिल्ली)    |
| 14       | श्री पी2                     | 2011-12 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)    |
| 15       | श्री पी1                     | 2011-12 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)    |
| 16       | श्री ए1                      | 2010-11 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)    |
| 17       | मैसर्स जे15 प्राइवेट लिमिटेड | 2010-11 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)    |
| 18       | श्री ए16                     | 2010-11 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)    |
| 19       | श्री जे13                    | 2010-11 से 2014-15 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम)    |
| 20       | श्री बी13                    | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता) |
| 21       | श्री एन9                     | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता) |
| 22       | श्रीमति एन16                 | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता) |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम            | नि.व.              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)      |
|----------|------------------------------|--------------------|---|
| 23       | श्री ए39                     | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-2(3), कोलकाता) |
| 24       | मैसर्स एस49 प्राइवेट लिमिटेड | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-1(1), कोलकाता) |
| 25       | श्री आर10                    | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-1(1), कोलकाता) |
| 26       | मैसर्स ए15 प्राइवेट लिमिटेड  | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 27       | श्री एम8                     | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 28       | श्री पी23                    | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 29       | मैसर्स सी14 प्राइवेट लिमिटेड | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 30       | श्री पी11                    | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 31       | मैसर्स एस47 प्राइवेट लिमिटेड | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल-3(3), कोलकाता) |
| 32       | श्री एच9                     | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-7(2), मुंबई)   |
| 33       | श्री एन8                     | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 7(2), मुंबई)    |
| 34       | श्री के14                    | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 7(2), मुंबई)   |
| 35       | श्री आर7                     | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-7 (2), मुंबई)     |



| क्र. सं. | निर्धारित का नाम              | नि.व.              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)              |
|----------|-------------------------------|--------------------|---|
| 36       | मैसर्स सी13 लिमिटेड           | 2014-15            | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 1(2), मुंबई)           |
| 37       | श्री जे9                      | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 8(2), मुंबई)           |
| 38       | श्री डी7                      | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्किल - 7(2), मुंबई)          |
| 39       | श्रीमति एस9                   | 2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर) |
| 40       | श्री एस36                     | 2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर) |
| 41       | श्री बी2                      | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 2(3), बेंगलुरु)       |
| 42       | श्री टी1                      | 2013-14 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु)       |
| 43       | श्रीमति एल5                   | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 2(2), बेंगलुरु)       |
| 44       | मैसर्स टी11 प्राइवेट लिमिटेड, | 2010-11 से 2016-17 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल - 1(2), हैदराबाद)       |
| 45       | मैसर्स वी7 प्राइवेट लिमिटेड,  | 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल-1(4), हैदराबाद)         |
| 46       | मैसर्स वी23 लिमिटेड           | 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद)       |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम | नि.व.              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार<br>(निर्धारण अधिकारी का क्षेत्राधिकार)            |
|----------|-------------------|--------------------|--|
| 47       | मैसर्स जी6        | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>हैदराबाद (केन्द्रीय<br>सर्किल - 3(3), हैदराबाद) |
| 48       | श्री ए14          | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>हैदराबाद (केन्द्रीय<br>सर्किल- 3(4), हैदराबाद)   |
| 49       | श्री जे11         | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>हैदराबाद (केन्द्रीय<br>सर्किल- 3(4), हैदराबाद)  |
| 50       | श्री वी24         | 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>हैदराबाद (केन्द्रीय<br>सर्किल- 3(4), हैदराबाद)  |

## परिशिष्ट 6ख

(पैरा 3.2.1(i) देखें)

असंगतता के साथ पीसीआइटी के विवरण, जहां धारा 281बी के सभी आदेशों में प्र. सीआइटी अनुमोदन तिथि/आदेश संख्या शामिल नहीं थी

| प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र         | निर्धारण अधिकारियों की कुल संख्या | असंगतता के साथ निर्धारण अधिकारी प्रभार | चर्चा किए गए निर्धारण अधिकारी की समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी आदेशों की समीक्षा | प्र.सीआइटी अनुमोदन आदेश संख्या/तिथि शामिल है | प्र.सीआइटी अनुमोदन आदेश संख्या/तिथि शामिल नहीं है |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| (1)                               | (2)                               | (3)                                    | (4)  | (5)  | (6)   |
| प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई | 04                                | केन्द्रीय सर्किल-2(2), चेन्नई          | 5  | 3  | 2   |
|                                   |                                   | केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई          | 5  | 2  | 3   |
| प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु | 10                                | केन्द्रीय सर्कल - 2(3), बेंगलुरु       | 2  | 1  | 1   |
|                                   |                                   | केन्द्रीय सर्कल - 1(3), बेंगलुरु       | 5  | 4  | 1   |
|                                   |                                   | केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बेंगलुरु       | 3  | 2  | 1   |
| प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) कोच्चि    | 02                                | केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम         | 5  | 1  | 4   |
| प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | 07                                | केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद      | 2  | 1  | 1   |

## परिशिष्ट 7

[पैरा 3.2.1(iii) देखें]

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में निहित पर्याप्त जानकारी को उजागर करने वाले मामले

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम/<br>निर्धारण वर्ष                  | प्र. सीआइटी<br>क्षेत्राधिकार<br>(निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार) | धारा 281बी<br>के अंतर्गत<br>आदेश की<br>तिथि | वर्णन   |
|----------|--|--|---|---|
| 1        | श्रीमति एन15, और श्री एस31/ नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्किल-20, दिल्ली)        | 18/01/2018 (विस्तारण आदेश)                  | धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन (सक्षम प्राधिकारी की पत्र संख्या और तिथि), ₹ 6.59 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात् 17/06/2019 तक का विवरण प्रदान किया गया था। |
| 2        | श्री आर19/ नि.व. 2011-12 से 2017-18                  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) - 3, मुंबई [केन्द्रीय सर्किल - 6(4), मुंबई]    | 01/11/2018                                  | धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 15.07 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात् 08/05/2019 तक का संदर्भ दिया गया था।  |
| 3        | श्री एस25/ नि.व. 2010-11 से 2016-17                  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्किल - 2(2), बेंगलुरु]  | 30/11/2017                                  | धारा 281बी के अंतर्गत आदेश में पूर्व अनुमोदन, ₹ 0.09 करोड़ की संपत्ति का मूल्य और छह महीने की वैधता अवधि अर्थात् 01/12/2017 तक का संदर्भ दिया गया था।   |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम/<br>निर्धारण वर्ष       | प्र. सीआइटी<br>क्षेत्राधिकार<br>(निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार)         | धारा 281बी<br>के अंतर्गत<br>आदेश की<br>तिथि | वर्णन  |
|----------|---|--|---|--|
| 4        | श्री जी3/ नि.व. 2013-14<br>से 2018-19     | प्र. सीआइटी<br>(केन्द्रीय), बेंगलुरु<br>[केन्द्रीय सर्किल -<br>2(1), बेंगलुरु] | 11/06/2019                                  | धारा 281बी के अंतर्गत<br>आदेश में पूर्व<br>अनुमोदन, ₹ 17.00 करोड़<br>की संपत्ति का मूल्य<br>और छह महीने की<br>वैधता अवधि अर्थात<br>26/07/2019 तक का<br>संदर्भ दिया गया था। |
| 5        | श्रीमति एस42/ नि.व.<br>2012-13 से 2018-19 | प्र. सीआइटी<br>(केन्द्रीय), बेंगलुरु<br>[केन्द्रीय सर्किल -<br>2(2), बेंगलुरु] | 24/11/2017                                  | धारा 281बी के अंतर्गत<br>आदेश में पूर्व<br>अनुमोदन, ₹ 40 करोड़<br>की संपत्ति का मूल्य<br>और छह महीने की<br>वैधता अवधि अर्थात<br>23/05/2018 तक का<br>संदर्भ दिया गया था।    |

## परिशिष्ट 8

(पैरा 3.2.2(ii) देखें)

अनंतिम कुर्की आदेश जिसमें संपत्ति का मूल्य दर्ज किया गया

| क्रम. सं. | निर्धारित का नाम             | ब्लॉक निर्धारण वर्ष | प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र          | निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार    | कुर्की की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1         | श्रीमति एन15                 | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, दिल्ली | केन्द्रीय सर्किल- दिल्ली          | 20, 6.59                                    |
| 2         | श्री एस31                    | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)- 2, दिल्ली | केन्द्रीय सर्किल- दिल्ली          | 20, 0.79                                    |
| 3         | श्री एम14                    | 2013-14 से 2018-19  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद  | केन्द्रीय सर्किल - 2(3), हैदराबाद | 63.48                                       |
| 4         | श्री ए14                     | 2012-13 से 2018-19  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद  | केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद  | 0.29  |
| 5         | श्री जे11                    | 2012-13 से 2018-19  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद  | केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद  | 0.25  |
| 6         | श्री वी24                    | 2012-13 से 2018-19  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), हैदराबाद  | केन्द्रीय सर्कल - 3(4), हैदराबाद  | 1.84  |
| 7         | मैसर्स ए8 प्राइवेट लिमिटेड   | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 2.77  |
| 8         | मैसर्स एल1 प्राइवेट लिमिटेड  | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 0.52  |
| 9         | श्रीमति एम4                  | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 4.57  |
| 10        | मैसर्स पी12 प्राइवेट लिमिटेड | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 0.02  |
| 11        | श्री एस24                    | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 0.09  |
| 12        | श्री एस10                    | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 1.75  |
| 13        | श्री ए23                     | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       | 3.66  |
| 14        | मैसर्स एल8                   | 2011-12 से 2017-18  | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय) भोपाल      | केन्द्रीय सर्कल - 1, रायपुर       |   |

| क्रम. सं. | निर्धारिती का नाम            | ब्लॉक निर्धारण वर्ष   | प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र             | निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार      | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 15        | श्री पी7                     | 2010-11 से<br>2016-17 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(4),<br>मुंबई      | 1.75                                       |
| 16        | श्रीमति एम11                 | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 6.34                                       |
| 17        | श्रीमति एच8                  | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 2.65                                       |
| 18        | श्री आर19                    | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 3, मुंबई | केन्द्रीय सर्किल<br>6(4), मुंबई     | 15.07                                      |
| 19        | श्रीमति एस43                 | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 0.04                                       |
| 20        | मैसर्स ई लिमिटेड             | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 63.29                                      |
| 21        | मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 9.20                                       |
| 22        | मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड  | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 4, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 8(1),<br>मुंबई      | 422.80                                     |
| 23        | मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड  | 2011-12               | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)<br>- 1, मुंबई | केन्द्रीय सर्कल 2(2),<br>मुंबई      | 2.15                                       |
| 24        | श्री के12                    | 2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-<br>2, चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल - 2<br>(1), चेन्नई  | 101.50                                     |
| 25        | श्री सी3                     | 2012-13 से<br>2017-18 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय)-<br>2, चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल - 2<br>(1), चेन्नई  | 052  |
| 26        | श्री बी2                     | 2012-13 से<br>2018-19 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(3), बैंगलुरु | 2.89                                       |
| 27        | श्री एस25                    | 2010-11 से<br>2016-17 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(2), बैंगलुरु | 0.09                                       |
| 28        | श्री जी3                     | 2013-14 से<br>2018-19 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(1), बैंगलुरु | 17.00                                      |
| 29        | श्री एस41                    | 2012-13 से<br>2018-19 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(4), बैंगलुरु | 0.62                                       |
| 30        | श्रीमति एल5                  | 2012-13 से<br>2018-19 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(2), बैंगलुरु | 2.00                                       |

| क्रम सं. | निर्धारिती का नाम | ब्लॉक निर्धारण वर्ष                   | प्र.सीआइटी अधिकार क्षेत्र         | निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार   | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 31       | श्रीमति एस42      | 2010-11, 2012-13 & 2014-15 से 2016-17 | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु | केन्द्रीय सर्कल - 2(2), बेंगलुरु | 40.00                                      |
| 32       | श्री ए16          | 2012-13 से 2017-18                    | प्र. सीआइटी (केन्द्रीय), कोच्चि   | केन्द्रीय सर्कल-1, एर्नाकुलम     | 82.00                                      |



## परिशिष्ट 9

(पैरा 3.2.2 देखें)

धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की आदेश का सुझाया गया प्रारूप

आयकर सहायक आयुक्त/ उपायुक्त, सर्किल का कार्यालय  
कार्यालय का पता: \_\_\_\_\_  
ईमेल आईडी: \_\_\_\_\_; संपर्क \_\_\_\_\_

फाइल संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के अंतर्गत कार्यवाही।

निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम:  
\_\_\_\_\_

सेवा में,

निर्धारिती का नाम: \_\_\_\_\_;

पता: \_\_\_\_\_;

निर्धारण वर्ष: \_\_\_\_\_;

पैन: \_\_\_\_\_;

विषय: \_\_\_\_\_ (निर्धारिती नाम और पैन) के मामले में आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की - निर्धारण वर्ष \_\_\_\_\_

संदर्भ: प्र.सीआईटी ( \_\_\_\_\_ ); ज्ञापन फाइल सं. \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

### आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी के अंतर्गत आदेश

1. **प्रस्तावना:** जैसा कि तलाशी/सर्वेक्षण कार्यवाही/आय के रिटर्न का सत्यापन/अन्य स्रोतों से सत्यापन के दौरान देखा गया है जैसे कि \_\_\_\_\_

[निर्धारिती के मामले में लंबित निर्धारण कार्यवाही के प्रकार का संक्षिप्त विवरण और मामले में अनंतिम कुर्की कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार बनाने वाली सामग्री/साक्ष्य का विवरण]

2. इस मामले में अनंतिम कुर्की किन विशिष्ट कारणों से शुरू की गई है **[प्राधिकरण:** मंत्रालय/सीबीडीटी के 2004 के निर्देश संख्या 8, तिथि 2 सितंबर, 2004 (फ.सं.404/22/2004-आईटीसीसी के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1))।

3. अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति का प्रकार और संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

**[प्राधिकरण:** मंत्रालय/सीबीडीटी के फ.सं.404/22/2004-आईटीसीसी, दिनांक 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1)]।

| क्रमसं. | संपत्ति का नाम | संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (जैसे, स्थान, पहचान संख्या और तिथि, आदि) | निर्धारिती के स्वामित्व की सीमा (सत्यापन का स्रोत) | संपत्ति का मूल्य (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बुक मूल्य/उचित मूल्य) |
|---------|----------------|---|--|---|
|         |                |   |  |   |

4. निर्धारण पूरा होने पर अनुमानित कर देयता उत्पन्न होने की संभावना है: \_\_\_

**[प्राधिकरण:** मंत्रालय/सीबीडीटी के एफ.एन.404/22/2004-आईटीसीसी, तिथि 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम की धारा 281बी(1)]। (नोट: यह केवल एक सांकेतिक अनुमान है।

5. आदेश की वैधता अवधि: यह आदेश \_\_\_ (प्रारंभ तिथि) से \_\_\_ (समाप्ति तिथि) तक या निर्धारण पूरा होने के साठ दिन बाद, जो भी बाद में हो, के लिए मान्य है

**[प्राधिकरण:** मंत्रालय/सीबीडीटी के एफ.एन.404/22/2004-आईटीसीसी, तिथि 05/11/2004 के साथ पठित अधिनियम के परंतुक के साथ पठित धारा 281बी(2)]।

यह आदेश ऊपर बताई गई अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं होगा। उचित कारणों और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ अवधि बढ़ाई जा सकती है।

यह आदेश दिया जाता है कि आपको अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक किसी भी तरह से उपर्युक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने या प्रभारित करने से प्रतिबंधित और अभिनिषेध किया जाता है और सभी व्यक्तियों को इस तरह के हस्तांतरण या प्रभार के अंतर्गत कोई भी लाभ लेने से प्रतिबंधित किया जाता है।

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281बी(3) के संदर्भ में, आपके पास उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का विकल्प है जिसका मूल्य अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम राशि का न हो। इसकी प्राप्ति पर, अधोहस्ताक्षरी, लिखित आदेश द्वारा, कुर्की को रद्द कर देगा।

7. यह आदेश प्रधान आयकर आयुक्त के अनुमोदन मिलने के पश्चात फाइल संख्या \_\_\_\_\_ में ज्ञापन संख्या \_दिनांक\_ के माध्यम से पारित किया गया है।

कृपया इस आदेश की पावती स्वीकार करें।

भवदीय,

(निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम)

**प्रतिलिपि:**

1) प्रधान आयकर आयुक्त, \_\_\_\_\_;

2) संयुक्त/अतिरिक्त आयकर आयुक्त, \_\_\_\_\_;

3) संबंधित राजस्व प्राधिकरण- (उस प्राधिकरण का नाम जिसे यह आदेश अधिसूचित किया जाना है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 (6) के अनुसार, आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को अब कुर्क संपत्ति अर्थात् \_\_\_\_\_ के विवरण की एक प्रति प्रस्तुत करें।

- निर्धारण पूरा होने के बाद कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने के संबंध में मांग की सूचना आपको आगे की कार्रवाई या निदेश के साथ तत्काल दी जाएगी ताकि आपके द्वारा धारित या आपके कार्यालय में पंजीकृत उपरोक्त व्यक्ति के नाम पर कुर्क संपत्ति में से निर्धारिती के प्रति उठाई गई कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने की मांग को समाप्त किया जा सके।
- कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के बाद निर्धारिती को किसी देयता का निर्वहन करते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारण अधिकारी के रूप में मेरे प्रति उत्तरदायी होंगे, जिस सीमा तक देयता का निर्वहन किया गया है, या पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित निर्धारिती के प्रति कर/शास्ति/ब्याज/जुर्माने के लिए निर्धारिती की देयता की सीमा तक, जो भी कम हो।

4) भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) - कृपया अनंतिम कुर्की को नोट करने और आयकर विभाग के प्रति सुरक्षा हित को अपने अभिलेखों में दर्ज करने का अनुरोध करें [प्राधिकरण: फा.सं.1(380)/डीआईटी(आर)/सरफेसी/17-18 दिनांक 06 सितंबर, 2017 में मंत्रालय /सीबीडीटी के आयकर निदेशालय (वसूली और टीडीएस) का निर्देश।

(निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम)

दिनांक:

## परिशिष्ट 10

(पैरा 3.3.1 देखें)

संवीक्षा निर्धारण मामलों की तुलना में धारा 281बी मामलों का विवरण (वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20)

| प्र.सीआईटी अधिकार क्षेत्र           | निर्धारण अधिकारी की संख्या | संवीक्षा निर्धारण मामलों की कुल संख्या | संख्या समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी के अंतर्गत आदेश |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1                                   | 2                          | 3                                      | 4  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, दिल्ली     | 04                         | 5,157                                  | 11   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-2, दिल्ली     | 04                         | 5,450                                  | 30   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-3, दिल्ली     | 06                         | 8,014                                  | 41   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल        | 02                         | 12,607                                 | 26   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, कोलकाता    | 03                         | 10,541                                 | 7  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 2, कोलकाता   | 01                         | 9,359                                  | 6  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, मुंबई      | 04                         | 1,094                                  | 9  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-3, मुंबई      | 05                         | 3,855                                  | 12   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-4, मुंबई      | 04                         | 3,280                                  | 16   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-1, चेन्नई     | 06                         | 2,786                                  | 34   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 2, चेन्नई    | 04                         | 3,420                                  | 34   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), कोच्चि       | 02                         | 2,373                                  | 7  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बंगलुरु      | 10                         | 6,848                                  | 30   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद     | 07                         | 3,505                                  | 25   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), विशाखापत्तनम | 02                         | 1,001                                  | 8  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), अहमदाबाद     | 05                         | 4,097                                  | 33   |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), राजस्थान     | 01                         | 9,955                                  | 3  |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), चंडीगढ़      | 02                         | 1,579                                  | 22   |
| <b>कुल</b>                          | <b>72*</b>                 | <b>94,921</b>                          | <b>354**</b>   |

\* इसमें प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम के 2 निर्धारण अधिकारी शामिल हैं, जिनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

\*\* पैरा 2.5 (अर्थात् परिशिष्ट 4क) में उल्लिखित 04 प्रस्तुत नहीं किए गए मामले शामिल हैं।

## परिशिष्ट 11

[पैरा 3.3.2 (i) देखें]

281बी मामलों का विवरण जहां निर्धारण अधिकारी ने बोर्ड द्वारा निर्धारित कारणों के लिए "मांग की वसूली मुश्किल हो रही है" की राय दी थी

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम / निर्धारण वर्ष     | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)             | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण  |
|----------|---------------------------------------|---|--|---|
|          |                                       |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    |   |
| 1        | श्रीमति एल5/ नि.व. 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु - (केन्द्रीय सर्किल - 2(2), मंगलुरु) | अक्टूबर 2017 2.90                                  | निर्धारिती ने कहा कि वह ₹ 2.90 करोड़ की कर देयता का भुगतान करने में असमर्थ थी। जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (फरवरी 2021) कि ₹ 10.32 करोड़ की मांग पर 31/12/2019 को तलाशी निर्धारण पूरा किया गया था। ₹ 0.40 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें शेष ₹ 9.92 करोड़ बकाया रह गए (फरवरी 2021)। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 2        | श्रीमति एस9/ नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम                                  | दिसंबर 2018 5.74                                   | निर्धारण अधिकारी ने दर्ज किया कि 'इस बात की पूरी संभावना है कि निर्धारण पूरा होने पर निर्धारिती मांग के भुगतान में सहयोग नहीं करेगा।  |
| 3        | श्री एस36/ नि.व. 2011-12 से 2017-18   | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल-2, भुवनेश्वर)  | दिसंबर 2018 30.35                                  | जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (दिसंबर 2020) कि तलाशी निर्धारण 27/12/2017 को ₹ 36.09 करोड़ की संचयी मांग उठाकर पूरा किया गया था। दोनों निर्धारितीयों से ₹ 10.98 करोड़ की वसूली की गई है, जिससे ₹ 25.11 करोड़ की राशि बकाया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की  |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष              | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)           | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण  |
|----------|---|---|--|---|
|          |   |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।  |
| 4        | मैसर्स बी8 लिमिटेड / नि.व. 2011-12 से 2016-17 |   | नवंबर 2017 10.49                                   | निर्धारण अधिकारी ने दर्ज किया कि 'इस बात की पूरी संभावना है कि निर्धारण पूरा होने पर निर्धारिती मांग के भुगतान में सहयोग नहीं करेगा'।   |
| 5        | मैसर्स नि.व. 2011-12 से 2016-17               | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्कल-2, भुवनेश्वर) | नवंबर 2017 4.40                                    | जैसा कि लेखापरीक्षा के समय था (दिसंबर 2020), तलाशी निर्धारण 30/11/2017 को ₹ 14.89 करोड़ की संचयी मांग उठाकर पूरा किया गया था, जिसके प्रति लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2020) तक दोनों निर्धारितीयों से कोई कर वसूली नहीं की गई थी। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 6        | श्री एम5/ नि.व. 2010-11 से 2016-17            |   |  | निर्धारण अधिकारी ने कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य का उल्लेख किए बिना संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज, निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है"।   |
| 7        | श्रीमति पी19/ नि.व. 2010-11 से 2016-17        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल-8(1), मुंबई]       | नवंबर और दिसंबर 2017 11.65                         |   |
| 8        | श्री वी12/ नि.व. 2010-11 से 2016-17           |   |  | जैसा कि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर है, ₹ 22.14 करोड़ की कर मांग उठाकर निर्धारण (दिसंबर 2017) पूरा किया गया था, जो पूर्णतः   |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष       | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण   |
|----------|--|---|--|--|
|          |  |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | बकाया थी। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।  |
| 9        | श्री पी7/ नि.व. 2010-11 से 2016-17     | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल- 8(4)]   | दिसंबर 2017<br>30.00                               | निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.75 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारितियों द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारितियों द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"<br><br>लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर, 2017 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 34.80 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 10       | श्रीमति एम11/ नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))   | अगस्त 2018<br>1.45                                 | निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 1.45 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 6.35 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 4.86 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित  |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष   | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण  |
|----------|------------------------------------|---|--|---|
|          |                                    |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"   |
|          |                                    |   |  | लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 0.98 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।   |
| 11       | श्री एच8/ नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8 (1)) | अगस्त 2018<br>1.48                                 | निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 1.48 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 2.65 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 4.93 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।" |
|          |                                    |   |  | लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 1.21 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर   |



| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष                    | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण   |
|----------|---|---|--|--|
|          |   |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।  |
| 12       | श्रीमति एस43/ नि.व. 2011-12 से 2017-18              | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))   | अगस्त 2018<br>1.15                                 | निर्धारण अधिकारी ने ₹ 0.04 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि 'निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।'।<br>लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 0.81 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 13       | मैसर्स ई प्राइवेट लिमिटेड /नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)- 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))   | अक्टूबर 2018 और नवंबर 2018<br>13.88                | निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 13.88 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति ₹ 63.29 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 46.29 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"   |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष                       | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण   |
|----------|--|---|--|--|
|          |  |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) की तिथि तक, दिसंबर 2018 में निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 85.20 करोड़ की मांग की गई थी, जिसमें से निर्धारिती द्वारा केवल ₹ 0.20 करोड़ का भुगतान किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।   |
| 14       | मैसर्स जे16 प्राइवेट लिमिटेड /नि.व. 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8 (1))  | अगस्त 2018<br>52.80                                | निर्धारण अधिकारी ने ₹ 9.21 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करते हुए संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है"।<br><br>लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, दिसंबर 2018 में निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 38.73 करोड़ की मांग हुई थी, जिसमें से निर्धारिती द्वारा केवल ₹ 13.62 करोड़ का भुगतान किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 15       | मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड /नि.व.                     | प्र सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल- 8(1))   | अगस्त 2018 और अक्टूबर 2018                         | निर्धारण अधिकारी ने संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी, जिसमें ₹ 3.61 करोड़ की अनुमानित कर देयता के प्रति  |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण   |
|----------|----------------------------------|---|--|--|
|          | 2011-12 से 2017-18               |   | 3.61   | <p>₹ 422.80 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया था (₹ 12.02 करोड़ की अघोषित आय के 30 प्रतिशत पर गणना की गई है), कि "निर्धारिती द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारिती द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"</p> <p>लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हो गया था, जिससे ₹ 6.40 करोड़ की मांग की गई थी और निर्धारिती द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।</p> |
| 16       | श्री जे9 /2010-11 से 2016-17     | प्र सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल-8(2))   | दिसंबर 2017<br>60.0                                | <p>निर्धारण अधिकारी ने कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य का उल्लेख किए बिना संबंधित 281बी आदेशों में अपनी राय दर्ज की थी कि "निर्धारितियों द्वारा देय कर और ब्याज निर्धारितियों द्वारा धारित संपत्ति के मूल्य से अधिक होने की संभावना है।"</p> <p>लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर, ₹ 81.83 करोड़ की कर मांग करके निर्धारण पूरा किया गया था (दिसंबर 2017), जिसके प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 5.41</p>   |

| क्रम.सं. | निर्धारिती का नाम /निर्धारण वर्ष | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | निर्धारण अधिकारी के 281बी प्रस्ताव और आदेश की तिथि | निर्धारण अधिकारी द्वारा 281बी प्रस्तावों और/या 281बी आदेश में "मांग की वसूली मुश्किल" रखने के लिए दिया गया विवरण     |
|----------|----------------------------------|---|--|--|
|          |                                  |   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)                    | करोड़ का भुगतान किया है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर मांग की वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |

## परिशिष्ट 12

[पैरा 3.3.2 (ii) देखें]

धारा 281बी मामलों का विवरण जो राय बनाने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न प्रकार के कारणों को दर्शाता है

| प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार          | निर्धारण अधिकारी की संख्या | धारा 281बी के तहत जारी आदेशों की संख्या | 281बी मामलों की संख्या जिनमें "राय बनाने" के कारण निम्न थे |                           |                       |                              |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                   |                            |   | केवल मानक कारण   | मानक कारणों के अलावा कारण | मांग की मुश्किल वसूली | परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता |
| (1)                               | (2)                        | (3)                                     | (4)  | (5)                       | (6)                   | (7)                          |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली  | 04                         | 11                                      | 11   | 0                         | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली  | 04                         | 30                                      | 24   | 06                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)3, दिल्ली   | 06                         | 41                                      | 35   | 06                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल     | 02                         | 26                                      | 11   | 15                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता | 03                         | 07                                      | 0  | 07                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता | 01                         | 06                                      | 0  | 06                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई   | 04                         | 09                                      | 04   | 05                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई   | 05                         | 11                                      | 01   | 10                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई   | 04                         | 16                                      | 05   | 0                         | 0                     | 11                           |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई  | 06                         | 34                                      | 23   | 10                        | 01                    | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई  | 04                         | 34                                      | 32   | 02                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि    | 02                         | 07                                      | 04   | 03                        | 0                     | 0                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु  | 10                         | 30                                      | 08   | 15                        | 07                    | 0                            |

| प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार<br>अधिकारी<br>की<br>संख्या | निर्धारण<br>धारा<br>281बी<br>के तहत<br>जारी<br>आदेशों<br>की<br>संख्या | 281बी मामलों की संख्या जिनमें "राय<br>बनाने" के कारण निम्न थे |                                    |                             |                                    |           |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
|   |   | केवल<br>मानक<br>कारण  | मानक<br>कारणों के<br>अलावा<br>कारण | मांग की<br>मुश्किल<br>वसूली | परिसंपत्तियों<br>की<br>अपर्याप्तता |           |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)                                | (5)                         | (6)                                | (7)       |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>हैदराबाद                 | 07  | 25  | 0                                  | 25                          | 0                                  | 0         |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापट्टनम             | 01  | 05  | 01                                 | 0                           | 04                                 | 0         |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)<br>अहमदाबाद                  | 05  | 33  | 30                                 | 03                          | 0                                  | 0         |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>राजस्थान                 | 01  | 03  | 03                                 | 0                           | 0                                  | 0         |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय),<br>चंडीगढ़                  | 02  | 22  | 16                                 | 06                          | 0                                  | 0         |
| <b>कुल</b>  | <b>71</b>   | <b>350</b>  | <b>208**</b>                       | <b>119</b>                  | <b>12</b>                          | <b>11</b> |

\*\*इसमें प्र.सीआईटी. (केन्द्रीय), बेंगलुरु प्रभार के तहत केन्द्रीय सर्कल-1 (3), बेंगलुरु के 02 मामले (अर्थात् श्री वी1 और मैसर्स सी16 प्राइवेट लिमिटेड) शामिल हैं, जहां 281बी प्रस्तावों में केवल मानक कारण दर्ज किए गए थे, लेकिन पैरा में चर्चा के अनुसार एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में निर्धारण अधिकारी द्वारा "अतिरिक्त कारण" बताए गए थे।

## परिशिष्ट 13

## [पैरा 3.3.2 (ii)] देखें]

**"राय बनाने" पर लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश और उसके प्रति निर्धारण  
अधिकारी का उत्तर**

| क्र. सं. | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार           | लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश   | धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया | निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|
| 1        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>अहमदाबाद |  | 33 में से<br>29 मामले  | निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि अनंतिम कुर्की राजस्व के हितों की रक्षा के लिए की गई थी।<br>4 मामलों में कोई उत्तर नहीं मिला।   |
| 2        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय)-<br>4, मुंबई | "परिसंपत्तियों की अपर्याप्तता के कारण या किसी असाधारण परिस्थितियों में वसूली कठिन होने की उचित संभावना" के बारे में राय किसी भी प्रस्ताव में नहीं बनाई गई है। यह मंत्रालय/सीबीडीटी के दिनांक 05/11/2004 के अनुदेशों का उल्लंघन था। | 11 में से<br>02 मामले  | एक विशिष्ट प्रश्न के लिए श्री आर7 के मामले में, निर्धारण अधिकारी से प्राप्त उत्तर है कि "आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है और पर्याप्त मांग उठाए जाने की संभावना है, तो निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकारी प्र.सीआईटी के अनुमोदन के बाद धारा 281बी को लागू कर सकता है।"<br>श्री एम5 के मामले में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में निर्धारण अधिकारी ने कहा, 'अधिनियम की धारा 281बी विवेकाधिकार देती है कि राजस्व के हितों की रक्षा के उद्देश्य से निर्धारित से संबंधित किसी भी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करना आवश्यक है।'<br>अन्य मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)। |
| 3        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु |  | 29 (सभी<br>मामले)  | <u>मसौदा रिपोर्ट पर प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) का दिनांक 06/07/2021 का उत्तर:</u> अभ्युक्तियों को देखने  |

| क्र. सं. | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार | लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश | धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया | निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश |
|----------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
|----------|--------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|

पर यह समझा गया कि लेखापरीक्षा की राय में, पर्याप्त मांग और राजस्व के हितों की रक्षा के परिणामस्वरूप निर्धारण कार्यवाही धारा 281बी के प्रावधानों को लागू करने के कारणों की पर्याप्तता नहीं है। निर्धारण अधिकारी ने अपने प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि निर्धारण कार्यवाही लंबित है और निर्धारण पूरा होने पर अधिक मांग करने की संभावना है। तलाशी और जब्ती कार्यवाही के दौरान पाए गए तथ्यों और सबूतों के कारण ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं।

4 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1 और 2, कोलकाता

13 में से 06 मामले

6 मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने कहा कि "उचित संभावना के बारे में राय निर्धारण पूरा होने पर अधिक मांग करने की संभावनाओं का पता करने के कारण पहले ही स्थापित की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा 5 मामलों (जैन समूह) में किए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि "निर्धारिती अनुपालन नहीं कर रहा था और अधिक मांग उत्पन्न होने की उम्मीद को देखते हुए, वसूली करना मुश्किल होगा।"

अन्य मामलों में, उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।



| क्र. सं.   | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार        | लेखापरीक्षा प्रश्न का सारांश | धारा 281बी मामलों की सं. जिसमें निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया | निर्धारण अधिकारी के उत्तर का सारांश  |
|------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| 5          | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), हैदराबाद |                              | 25 (सभी मामले)   | निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद ने कार्यवाही से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद मंजूरी दे दी है।   |
| 6          | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), चंडीगढ़  |                              | 22 (सभी मामले)   | धारा 281बी मामलों के तहत सभी आदेशों में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, निर्धारण अधिकारी ने "वसूली मुश्किल होने की उचित संभावना" के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय, निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि धारा 281बी के तहत आदेश सभी मामलों में तलाशी कार्यवाही के दौरान पाई गई अघोषित आय के कारण "पर्याप्त कर मांग उत्पन्न होने की संभावना" के कारणों से शुरू किया गया था। |
| <b>कुल</b> |                                 |                              | <b>113</b>   |  |

## परिशिष्ट 14

### (पैरा 3.3.2 देखें)

असाधारण परिस्थितियों की सुझाई गई सांकेतिक सूची जो निर्धारण अधिकारी को अनंतिम कुर्की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक राय बनाने में सक्षम बना सकती है

| क्र.सं. | असाधारण परिस्थितियों की सुझाई गई सूची   |
|---------|---|
| 1       | निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिसों पर निर्धारिती की गैर/खराब प्रतिक्रिया के संकेत   |
| 2       | ऐसे मामले जिनमें निर्धारिती ने पहले पूरे किए गए पिछले निर्धारणों में की गई मांग का भुगतान नहीं किया है  |
| 3       | यदि निर्धारिती ने पहले पूरे किए गए पिछले निर्धारण के प्रति निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की है, लेकिन विभाग के पक्ष में अपील का फैसला होने की संभावना बहुत अधिक है। |
| 4       | अखबार की रिपोर्ट/तीसरे पक्ष के स्रोत जैसे बहुत मजबूत साक्ष्य हैं कि निर्धारिती अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने की योजना बना रहा है                                     |
| 5       | यदि निर्धारिती "गैर जिम्मेदार" ऑपरेटर, आदतन अपराधी है   |
| 6       | पिछले निर्धारण के मामले कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) के माध्यम से पहले से ही वसूली कार्यवाही के अधीन हैं  |
| 7       | निर्धारिती का पता नहीं चल पाया  |
| 8       | विशेष अदालत (प्रतिभूति अधिनियम, 1992 से संबंधित अपराधों का परीक्षण) के तहत अधिसूचित व्यक्ति   |
| 9       | निर्धारिती का मामला आईबीसी-2016 के तहत एनसीएलटी के समक्ष लंबित है   |
| 10      | कंपनी का परिसमापन   |
| 11      | बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्ति   |
| 12      | संपत्तियों की कुर्की के विरुद्ध अपील लंबित  |
| 13      | अधिनियम/नियमों में कहीं भी परिभाषित कोई अन्य असाधारण परिस्थितियां   |

नोट: ऊपर सुझाई गई इन असाधारण परिस्थितियों में से कुछ केंद्रीय कार्य योजना-1 (सीएपी-1) विवरण के खंड 9 से तैयार की गई हैं जो निर्धारित आवृत्ति पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

## परिशिष्ट 15

## [पैरा 4.2(i) देखें]

अनंतिम रूप से कुर्क संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति रखने वाले निर्धारितियों की सूची

| क्र.सं. | निर्धारित का नाम /नि.व                   | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]               | अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार | अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/<br>मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में) |
|---------|--|---|----------------------------|---|--|
| 1       | श्री ओ /<br>2002-03 से<br>2008-09 तक     | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अचल कोच्चि [केन्द्रीय सर्कल- 2, एर्नाकुलम]      |                            | उप-पंजीयन द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार आवासीय भूखंडों, वाणिज्यिक भूखंडों, तटीय बेल्ट और परतिभूमि सहित कुल 124 संपत्तियां (अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों को छोड़कर) | 5.34/ पता लगाने योग्य नहीं   |
| 2       | श्री पी7/<br>2010-11 से<br>2015-16       | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई [केन्द्रीय सर्कल - 8 (4), मुंबई] |                            | बैलेंस शीट के अनुसार कृषि भूमि, फ्लैट, शेयर, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश   | 2.17/<br>24.72   |
| 3       | श्री एम5 /<br>2010-11 से<br>2016-17      | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 8 (1), मुंबई) |                            | बैलेंस शीट के अनुसार कार, शेयर और बॉन्ड आदि में निवेश, एफडी और सीडी   | 6.30/<br>3.25  |
| 4       | मैसर्स ई लिमिटेड / 2010-11 से<br>2016-17 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों 4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल - 8(1), मुंबई)  |                            | बैलेंस शीट के अनुसार कंप्यूटर को छोड़कर भूमि, भवन, वाहन और फर्नीचर  | 13.89/<br>61.83  |

| क्र.सं. | निर्धारित नाम /नि.व   | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]                    | अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार | अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/<br>मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में) |
|---------|---|--|----------------------------|---|--|
| 5       | श्रीमति पी19/<br>2010-11 से<br>2016-17                        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों<br>4, मुंबई (केन्द्रीय<br>सर्कल - 8(1), मुंबई) | दोनों                      | बैलेंस शीट के<br>अनुसार एफडी,<br>शेयर, बॉन्ड आदि<br>में निवेश, कार  | 5.36/<br>3.27  |
| 6       | मैसर्स जे16<br>प्राइवेट लिमिटेड /<br>2011-12 से<br>2016-17    | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) - दोनों<br>4, मुंबई [केन्द्रीय<br>सर्कल - 8(1), मुंबई] | दोनों                      | बैलेंस शीट (नि.व.<br>2017-18) के<br>अनुसार भूमि,<br>फर्नीचर और<br>फिक्स्चर, वाहन<br>और कार्यालय<br>उपकरण (कंप्यूटर<br>को छोड़कर)  | 52.80/<br>89.26  |
| 7       | मैसर्स ए41<br>लिमिटेड, बेंगलुरु<br>/ 2010-11 से<br>2016-17 तक | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>बेंगलुरु [केन्द्रीय<br>सर्कल-1(3), बेंगलुरु]       | दोनों                      | भूमि, फैक्टरी<br>भवन, संयंत्र और<br>उपकरण, फर्नीचर<br>और फिक्स्चर,<br>मोटर और माल<br>वाहन, कंप्यूटर और<br>विद्युत प्रतिष्ठान  | 40.00/<br>38.30  |
| 8       | श्री वी1 /<br>2011-12 से<br>2018-19                           | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>बेंगलुरु [केन्द्रीय<br>सर्कल-1(3), बेंगलुरु]       | दोनों                      | कॉफी एस्टेट भूमि<br>और भवन,<br>आभूषण आदि,<br>पुरातात्विक और<br>पेंटिंग संग्रह आदि,<br>वाहन और नौकाएं<br>आदि, शेयर और<br>प्रतिभूतियां (मैसर्स<br>एम18 लिमिटेड<br>और मैसर्स सी16<br>लिमिटेड के शेयरों<br>को छोड़कर) | 447.44/<br>105.67  |
| 9       | मैसर्स सी16<br>लिमिटेड /<br>2011-12 से                        | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय),<br>बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल<br>-1(3), बेंगलुरु]      | दोनों                      | बैलेंस शीट के<br>अनुसार संपत्ति<br>संयंत्र और उपकरण   | 188.70/<br>1,753.92  |

| क्र.सं. | निर्धारित नाम /नि.व                       | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]        | अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार | अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति   | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/<br>मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में) |
|---------|---|--|----------------------------|---|--|
|         | 2018-19                                   |  |                            | (₹ 5.15 करोड़), इक्विटी और शेयर पूंजी (मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयरों को छोड़कर) |  |
| 10      | श्री एस25 / 2010-11 से 2016-17            | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), बेंगलुरु] | दोनों                      | भूमि और आभूषण (तलाशी के दौरान निर्धारित द्वारा स्वैच्छिक स्वीकृति के अनुसार)    | 0.99/<br>0.32<br>(केवल आभूषण)  |
| 11      | श्री बी2 / 2012-13 से 2017-18 और 2018-19  | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(3), बेंगलुरु] | दोनों                      | कृषि भूमि, स्थल और आवासीय भवन, वाहन   | 5.26/<br>1.15<br>(केवल वाहन)   |
| 12      | श्री डी1 / 2010-11 से 2016-17             | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(3), बेंगलुरु] | अनुपलब्ध                   | अनुपलब्ध  | 30.00/<br>अनुपलब्ध   |
| 13      | श्री एम12 / 2012-13 से 2017-18 और 2018-19 | प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]   | अचल                        | भूमि और घर  | 8.42/<br>0.86  |
| 14      | श्रीमति एस23/ 2010-11 से 2015-16          | प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]   | दोनों                      | बैलेंस शीट के अनुसार भूमि, संपत्ति और वाहन                                      | 1.30/<br>2.31  |
| 15      | श्री ए12 / 2010-11 से 2015-16             | प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]   | अनुपलब्ध                   | अनुपलब्ध  | 0.18/<br>अनुपलब्ध  |
| 16      | श्री एम3 / 2010-11 से 2016-17             | प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]   | दोनों                      | भूमि और भवन, फर्नीचर और फिक्स्चर, संयंत्र और मशीनरी                             | 1.76/<br>0.94  |
| 17      | श्री एस5 / 2010-11 से 2016-17             | प्र सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु]   | अनुपलब्ध                   | अनुपलब्ध  | 0.29/<br>अनुपलब्ध  |

| क्र.सं. | निर्धारिता का नाम /नि.व                          | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]            | अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार | अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति                                     | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/<br>मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में) |
|---------|--|--|----------------------------|---|--|
| 18      | श्रीमति एस26 / 2010-11 से 2016-17                | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), दोनों बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु] | दोनों                      | बैलेंस शीट के अनुसार संपत्तियां और भवन, वाहन आदि                | 1.40/<br>0.82  |
| 19      | मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]        | दोनों                      | फ्रीहोल्ड भूमि, भवन, वाहन और कार्यालय उपकरण                     | लागू नहीं/<br>89.47  |
| 20      | मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]        | अचल                        | बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी                 | 151.42/<br>51.63   |
| 21      | मैसर्स एस7 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]       | अचल                        | बैलेंस शीट के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी                 | 31.13/<br>311.70   |
| 22      | श्री एस15 / 2008-09 से 2018-19 तक                | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, हुबली]             | अनुपलब्ध                   | अनुपलब्ध  | 2.02/<br>अनुपलब्ध  |
| 23      | मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2013-14           | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]        | दोनों                      | बैलेंस शीट के अनुसार अचल संपत्ति                                | 26.91/<br>123.71   |
| 24      | श्री सी12 / 2012-13 से 2017-18                   | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल, पणजी, गोवा]        | अचल                        | भूमि और संपत्ति   | 2.00/<br>0.50  |
| 25      | श्री एच1 / 2010-11 से 2016-17                    | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -1(2), बेंगलुरु]    | दोनों                      | मामलों के विवरण के अनुसार कृषि और गैर कृषि भूमि, कार, आभूषण आदि | 3.75/<br>16.03   |
| 26      | श्रीमति एल5/ 2012-13 से 2017-18                  | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -2(2), बेंगलुरु]    | अचल                        | फ्लैट   | 2.90/<br>4.96  |

| क्र.सं. | निर्धारित नाम /नि.व                       | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार [निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार]                 | अतिरिक्त संपत्ति का प्रकार | अतिरिक्त संपत्ति की प्रकृति                                     | अनुमानित कर देयता (₹ करोड़ में)/<br>मूल्य, यदि उपलब्ध हो (₹ करोड़ में) |
|---------|---|---|----------------------------|---|--|
| 27      | श्रीमति एस42/<br>2014-15                  | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), बेंगलुरु]        | अचल                        | संपत्ति, घर और अपार्टमेंट                                       | 4.74/<br>अभिनिश्चित करने योग्य नहीं                                    |
| 28      | श्री जी3 /<br>2013-14 से<br>2018-19       | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल -2(1), बेंगलुरु]       | अनुपलब्ध                   | अनुपलब्ध  | 31.41/<br>अनुपलब्ध   |
| 29      | मैसर्स एम7 ट्रस्ट / 2009-10 से<br>2015-16 | प्र.सी.आई.टी.(केन्द्रीय), दोनों बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-1(4), अहमदाबाद] |                            | बैलेंस शीट के अनुसार शेयर और म्युचुअल फंड, चल और अचल संपत्तियां | अनुपलब्ध/<br>0.99  |
| 30      | श्री पी13/<br>2012-13 से<br>2018-19       | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु [केन्द्रीय सर्कल-2(2), अहमदाबाद]        | अनुपलब्ध                   | वाहन (कार और मोटर बाइक)   | अनुपलब्ध/<br>0.89  |
| 31      | श्री वी3 /<br>2017-18                     | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई [केन्द्रीय सर्कल-1 (1), चेन्नई]         | अनुपलब्ध                   | सावधि जमा   | 1.82/<br>5.77  |

## परिशिष्ट 16

(पैरा 4.2(ii) देखें)

धारा 281बी के अंतर्गत आदेश जिसमें बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था

| क्र. सं. | निर्धारिता का नाम / नि.व.                 | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                                 | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य   |   | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में) |
|----------|---|---|---------------------------------|--|---|--|
|          |   |   |                                 | चल (करोड़ में)   | अचल (करोड़ में)   |  |
| 1        | श्री ए38/<br>2010-11 से 2016-17           | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3,<br>मुंबई (केन्द्रीय सर्कल -<br>6(2), मुंबई)      | 7.50                            | 0.70 (एफडी), और बैंक खाते<br>(क्रेडिट बैलेंस इंगित नहीं किया<br>गया है)  | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं किया नहीं<br>गया है | 0 अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं  |
| 2        | श्री डी12/<br>2010-11 से 2016-17          | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-3,<br>मुंबई (केन्द्रीय सर्कल -<br>6(2), मुंबई)      | 11.56                           | 0.06 (एफडी), और बैंक खाते<br>(क्रेडिट बैलेंस इंगित नहीं किया<br>गया है)  | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं किया नहीं<br>गया है | 0 अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं  |
| 3        | श्रीमति एस9/<br>2011-12 से 2017-18        | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय<br>सर्कल -2, भुवनेश्वर) | 0.48                            | धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के<br>उत्तर में बैंक प्रबंधक द्वारा दी<br>गई सूचना के अनुसार 0.50<br>करोड़ रुपये का पुनर्ग्रहणाधिकार।                       |   | 0 अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं  |
| 4        | श्री एस36/<br>2011-12 से 2017-18          | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय<br>सर्कल -2, भुवनेश्वर) | 17.82                           | धारा 281बी के अंतर्गत आदेश के<br>उत्तर में बैंक प्रबंधकों में से दो<br>द्वारा उत्तर के रूप में 0.06<br>करोड़ रुपये का मूल्य इंगित नहीं<br>किया गया है। |   | 0 अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं  |
| 5        | मैसर्स बी8 लिमिटेड/<br>2010-11 से 2016-17 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय<br>सर्कल-2, भुवनेश्वर)  | 5.70                            | मूल्य इंगित नहीं किया गया है   | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं किया नहीं<br>गया    |  |



| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.          | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                                 | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में)      | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य चल (करोड़ में) | अचल (करोड़ में) | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)  |
|----------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|---|
| 6        | मैसर्स बी7/<br>2010-11 से 2016-17  | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय<br>सर्कल-2, भुवनेश्वर)  | 4.03 मूल्य इंगित नहीं किया गया       |   |                 | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं  |
| 7        | मैसर्स एस32/<br>2010-11 से 2016-17 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>विशाखापत्तनम (केन्द्रीय<br>सर्कल -2, भुवनेश्वर) | इंगित नहीं मूल्य इंगित नहीं किया गया |   |                 | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया नहीं गया  |
| 8        | श्री पी10/<br>2010-11 से 2017-18   | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) -<br>2, दिल्ली, (केन्द्रीय<br>सर्कल -20, दिल्ली)    | 453.37 मूल्य इंगित नहीं किया गया     |   |                 | मूल्य इंगित धारा 33 के अंतर्गत नहीं किया तलाशी के दौरान गया निर्धारिती के बयान के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में से एक को लगभग 20 साल पहले 4 करोड़ रुपये के मूल्य पर खरीदा गया था। हां, निर्धारिती के नाम पर उपलब्ध अन्य संपत्तियों (कुर्क नहीं की गई) का विवरण निम्नानुसार है:<br>आनंदराम डेरी, नई दिल्ली में एक प्लॉट 10 साल पहले ₹ 50,000 में खरीदा गया था। |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व. | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार) | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |                 | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)  |
|----------|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
|          |                           |   |                                 | चल (करोड़ में)               | अचल (करोड़ में) |   |
|          |                           |   |                                 |                              |                 | इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नोएडा में एक प्लॉट 8 साल पहले ₹ 2.5 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया था।<br>घिंटोरनी में लगभग 106 एकड़ का खेत, लगभग 20 साल पहले ₹ 50,000 में खरीदा गया था।<br>देहरादून में फ्लैट ₹ 50 लाख में खरीदा गया, 3 साल पहले खरीदा गया।<br>राजस्थान के सुजानगढ़ में पैतृक घर का मूल्य लगभग ₹ 1 करोड़ है।<br>टांगरा में भूमि।<br>पांच कारें - एक ऑडी कार ₹ 0.55 करोड़ की कीमत पर खरीदी गई।<br>7 कंपनियों में अंशधारिता |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.        | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                                | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |                           | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)  |
|----------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
|          |                                  |  |                                 | चल (करोड़ में)               | अचल (करोड़ में)           |   |
| 9        | श्री एस13/<br>2012-13 से 2018-19 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>चंडीगढ़ (केन्द्रीय सर्कल-<br>2, चंडीगढ़)       | 38.34                           | मूल्य इंगित नहीं किया गया    | मूल्य इंगित नहीं किया गया | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया गया   |
| 10       | श्री एस4/<br>2012-13 से 2018-19  | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>चंडीगढ़ (केन्द्रीय सर्कल-<br>2, चंडीगढ़)       | 4.73                            | मूल्य इंगित नहीं किया गया    | मूल्य इंगित नहीं किया गया | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया गया   |
| 11       | श्री आर1/<br>2010-11             | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -<br>1(3), बैंगलुरु) | 8.0                             | 3.90                         | 14.69                     | पीए प्रस्ताव के अनुसार, अभिनिश्चित करने योग्य नहीं; (7 स्थानों) पर कुल 19 साइटें और एक अन्य साइट में 30 फ्लैट कुर्क किए गए थे;<br>1. ₹ 5.69 करोड़ की दो संपत्तियों का संचयी मूल्य<br>2. 30 लाख रुपये मूल्य के 30 फ्लैट, संचयी मूल्य 9 करोड़ रुपये।<br>3. शेष संपत्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं था। |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.           | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                                   | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |                 | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)                      |
|----------|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
|          |                                     |   |                                 | चल (करोड़ में)               | अचल (करोड़ में) |   |
| 12       | श्री के18/<br>2017-18               | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1,<br>कोलकाता (केन्द्रीय<br>सर्कल - 2(1),<br>कोलकाता) | 1.36                            | इंगित नहीं किया गया          | 0.58            | 31 मार्च 2019 तक<br>₹ 22 करोड़ के संचयी<br>मूल्य वाली कई अचल<br>संपत्तियां  |
| 13       | श्रीमति बी13/<br>2011-12 से 2017-18 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1,<br>कोलकाता (केन्द्रीय<br>सर्कल - 2(3),<br>कोलकाता) | 0.65                            | इंगित नहीं किया गया          | 0.32            | अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं   |
| 14       | श्रीमति एन16/<br>2011-12 से 2017-18 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1,<br>कोलकाता (केन्द्रीय<br>सर्कल - 2(3),<br>कोलकाता) | 0.87                            | इंगित नहीं किया गया          |                 | अभिनिश्चित करने योग्य<br>नहीं   |
| 15       | श्री एन9/<br>2011-12 से 2017-18     | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1,<br>कोलकाता (केन्द्रीय<br>सर्कल - 2(3),<br>कोलकाता) | 1.19                            | इंगित नहीं किया गया          |                 | 3.85 स्वीकृति के बाद चार में<br>से केवल दो संपत्तियों<br>को कुर्क किया गया था।  |
| 16       | श्री ए39/<br>2011-12 से 2017-18     | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1,<br>कोलकाता (केन्द्रीय<br>सर्कल - 2(3),<br>कोलकाता) | 2.06                            | 0.01                         |                 | उपलब्ध नहीं एक अचल संपत्ति को<br>है कुर्क करने के लिए<br>मंजूरी दी गई थी, लेकिन<br>बाद में इसे कुर्क नहीं<br>किया गया था। |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                           | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                          | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |  | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में) |
|----------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|
|          |   |  |                                 | चल (करोड़ में)               | अचल (करोड़ में)  |  |
| 17       | मैसर्स एस49 प्राइवेट लिमिटेड/<br>2011-12 से 2017-18 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          | इंगित नहीं किया गया                                    | इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं   |
| 18       | श्री आर10/<br>2011-12 से 2017-18                    | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          | इंगित नहीं ₹ 0.18 करोड़ की अचल किया गया संपत्ति या भवन |  |
| 19       | मैसर्स ए15 प्राइवेट लिमिटेड/<br>2011-12 से 2018-19  | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          |  | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |
| 20       | श्री एम8/<br>2012-13 से 2018-19                     | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          |  | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |
| 21       | श्री पी23/<br>2011-12 से 2018-19                    | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          |  | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                        | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                          | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |                 | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में)  |
|----------|--|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
|          |  |  |                                 | चल (करोड़ में)               | अचल (करोड़ में) |   |
| 22       | मैसर्स सी14 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2018-19 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          | 0               | अभिनिश्चित करने योग्य नहीं  |
| 23       | श्री पी11/ 2011-12 से 2018-19                    | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          | 0               | अभिनिश्चित करने योग्य नहीं  |
| 24       | मैसर्स एस47 प्राइवेट लिमिटेड/ 2011-12 से 2018-19 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (केन्द्रीय सर्कल - 3(3), कोलकाता) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया          | 0               | अभिनिश्चित करने योग्य नहीं  |
| 25       | मैसर्स एम7/ 2009-10 से 2015-16                   | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल -1(4), अहमदाबाद)  | इंगित नहीं किया गया             | 0.58                         | 0               | हाँ<br>1. तलाशी के दौरान शेयर और म्यूचुअल फंड का खुलासा<br>2. बैलेंस शीट के अनुसार ₹ 78.75 लाख की चल संपत्ति, और<br>3. ₹ 20.35 लाख की अचल संपत्ति |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                           | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार (एओ क्षेत्राधिकार)                         | अनुमानित कर देनदारी (करोड़ में) | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य चल (करोड़ में) | अचल (करोड़ में)                                       | क्या कुर्क नहीं की गई अन्य संपत्तियों के रिकॉर्ड उपलब्ध थे? यदि हाँ, तो मूल्य क्या था? (करोड़ों में) |
|----------|---|---|---------------------------------|---|---|--|
| 26       | श्री वी3/<br>2017-18                                | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(1), चेन्नई)  | 20.40                           | इंगित नहीं किया गया                         |   | 0 हाँ, ₹ 5.77 करोड़ के मूल्य की सावधि जमा  |
| 27       | श्री आर17/<br>2012-13 से 2017-18                    | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2 (1), चेन्नई) | इंगित नहीं किया गया             | इंगित नहीं किया गया                         | इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं        |  |
| 28       | श्री सी1/<br>2012-13 से 2018-19                     | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल- 2(4), चेन्नई)   | 1.68                            | इंगित नहीं किया गया                         |   | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |
| 29       | मैसर्स ए6 प्राइवेट लिमिटेड<br>2015-16 से 2018-19    | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल-3(1), चेन्नई)    | 83.50                           | इंगित नहीं किया गया                         | मूल्य इंगित अभिनिश्चित करने योग्य नहीं किया नहीं गया. |  |
| 30       | श्री वि17/<br>2012-13 से 2017-18                    | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 3(3), चेन्नई)     | 1.68                            | इंगित नहीं किया गया                         |   | इंगित नहीं अभिनिश्चित करने योग्य किया गया नहीं   |
| 31       | मैसर्स एस48 प्राइवेट लिमिटेड/<br>2012-13 से 2018-19 | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2 (4), चेन्नई) | 54.96                           | 9.32  |   | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |
| 32       | मैसर्स एन12/<br>2018-19                             | प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2 (4), चेन्नई) | 81.02                           | 7.57  |   | 0 अभिनिश्चित करने योग्य नहीं   |

## परिशिष्ट 17

## [पैरा 4.3(i) देखें]

## उन मामलों का विवरण जहां कुर्क की गई संपत्ति निर्धारिती की नहीं थी

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम/<br>नि.व.                 | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय)<br>क्षेत्राधिकार (एओ<br>क्षेत्राधिकार)             | विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई   |
|----------|---|--|---|
| 1        | मैसर्स ई लिमिटेड /<br>2011-12 से<br>2017-18 | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय) - 4,<br>मुंबई (केंद्रीय<br>सर्कल - 8(1),<br>मुंबई) | निर्धारिती द्वारा 20/11/2018 को प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, सात अचल संपत्तियों में से दो (₹ 13.89 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के प्रति कुल ₹ 63.29 करोड़ रुपये की समग्र राशि) जिन्हें 05/11/2018 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, उनका निपटान धारा 153 ए के अंतर्गत दिनांक 07/11/2017 को जारी नोटिस के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा पहले ही कर दिया गया था। एक अन्य संपत्ति जिसे अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, वह एक अन्य कंपनी से संबंधित थी और इसका स्वामित्व निर्धारिती के पास नहीं था। अधिनियम की धारा 281 के अंतर्गत 29/11/2018 को इन तीन संपत्तियों की बिक्री को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था। साथ ही, धारा 281बी के अंतर्गत 18/03/2019 को कुर्क की गई उन संपत्तियों को जारी करने के लिए एक निरसन आदेश जारी किया गया था, जिनका स्वामित्व निर्धारिती के पास नहीं था, जबकि शेष संपत्तियों की अनंतिम कुर्की जारी रही। लेखापरीक्षा (जनवरी, 2021) की तारीख तक, ₹ 85.20 करोड़ रुपये की कर मांग के साथ निर्धारण (27/12/2018) पूर्ण किया गया, और शेष कर ₹ 85.00 करोड़ रुपये (जनवरी 2021) बकाया था। लेखापरीक्षा प्रश्न (जनवरी 2021) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 2        | श्री पी7/<br>2010-11 से<br>2016-17          | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय) - 4,<br>मुंबई (केंद्रीय<br>सर्कल - 8(4),<br>मुंबई) | लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 281बी के अंतर्गत दिनांक 11/12/2017 के आदेश से निर्धारिती के इतर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित संपत्ति को कुर्क किया गया था। यह तथ्य एओ के संज्ञान में तभी आया जब संपत्ति के वास्तविक स्वामी ने (दिनांक 21/12/2017 के पत्र के माध्यम से) एओ को सूचित किया। परिणामतः, धारा 281बी के अंतर्गत एक संशोधित आदेश (27/12/2017) निर्धारिती की सही संपत्ति (₹ 2.17 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के मुकाबले ₹ 1.75 करोड़) को कुर्क   |



| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम/<br>नि.व.                | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय)<br>क्षेत्राधिकार (एओ<br>क्षेत्राधिकार)             | विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  | करने के लिए जारी किया गया था। लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तारीख तक, निर्धारण ₹ 34.80 करोड़ रुपये की कर मांग के साथ पूर्ण किया गया (दिसंबर 2017) और पूरी कर मांग बकाया (दिसंबर 2020) थी। लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।  |
| 3        | श्रीमति एम10/<br>2012-2013 से<br>2018-2019 | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय)-1,<br>चेन्नई (केंद्रीय<br>सर्कल - 1(4),<br>चेन्नई) | धारा 281बी के अंतर्गत एओ द्वारा 26/12/2019 को ₹ 2.18 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी को कवर करने के लिए सात संपत्तियों (मूल्य इंगित नहीं किया गया) को कुर्क करके एक आदेश जारी किया गया था। इसे 09/09/2020 को विस्तारित किया गया था। 25/09/2020 को, एओ को एक व्यक्ति से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि कुर्क की गई संपत्तियों में से एक जुलाई 2005 में ही निर्धारिती द्वारा उन्हें बेची जा चुकी है। एओ ने अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया और दिनांक 28/09/2020 के आदेश के माध्यम से संपत्ति की कुर्की हटा दी। शेष छह संपत्तियों की कुर्की जारी रही। चूंकि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) तक निर्धारण पूर्ण नहीं हुआ (फरवरी 2021)। लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर के साथ-साथ मंत्रालय/सीबीडीटी से निर्धारण की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।   |
| 4        | श्री एस5/<br>2010-11 से<br>2016-17         | प्र.सीआईटी<br>बेंगलुरु (केंद्रीय<br>सर्कल- 1<br>मंगलुरु)                     | नि.व. 2016-17 के लिए पूंजीगत लाभ की निर्धारिती की गणना के सत्यापन पर लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) ने पाया कि धारा 281बी के अंतर्गत दिनांक 18/12/2017 के आदेश में कुर्क संपत्ति (अभिलेख में मूल्य उपलब्ध नहीं) और 18/06/2018 को विस्तारित संपत्ति निर्धारिती द्वारा 23/03/2016 को अर्थात् धारा 281बी के अंतर्गत आदेश की तारीख से बहुत पहले ही बेची जा चुकी थी। अनुमानित कर देनदारी ₹ 0.29 करोड़ थी। एओ से उत्तर की तिथि (जनवरी 2021) तक कोई और कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार राजस्व के हितों की रक्षा का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान मामले में विफल हो गया था। लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) की तिथि तक, निर्धारण ₹ 0.03 करोड़ रुपये की कर मांग (29/12/2017) के साथ पूर्ण किया गया, जिसकी वसूली (फरवरी, 2021) लंबित थी। एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (जून 2021) हेतु, एओ के उत्तर के साथ-साथ बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम/<br>नि.व.                                   | प्र. सीआईटी<br>(केंद्रीय)<br>क्षेत्राधिकार (एओ<br>क्षेत्राधिकार)                        | विवरण और विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई   |
|----------|---|---|---|
| 5        | श्रीमति एस42/<br>2010-11, 2012-13<br>और 2014-15 से<br>2016-17 | प्र. सीआईटी<br>बेंगलुरु (केन्द्रीय<br>सर्कल- 2(2),<br>बेंगलुरु)                         | निर्धारिती के अंतिम लेखों के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने (फरवरी 2021) पाया कि ₹ 4.74 करोड़ रुपये की अनुमानित कर देनदारी के प्रति गलत पहचान के कारण 24/11/2017 के आदेश पर अनंतिम कुर्की के लिए एक गलत संपत्ति (₹ 40.00 करोड़ रुपये मूल्य) का चयन किया गया था। एओ द्वारा आगे कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा (फरवरी, 2021) तिथि तक, ₹ 22.39 करोड़ रुपये की संवर्धित कर मांग के साथ निर्धारण पूर्ण किया गया (दिसंबर 2017) और ₹ 21.48 करोड़ रुपये का शेष कर (फरवरी, 2021) बकाया था। निर्धारिती की परिसंपत्तियों की संशोधित सूची के साथ मामले को वसूली के लिए टीआरओ को भेज दिया गया है। लेखापरीक्षा प्रश्न (फरवरी 2021) के उत्तर (जून 21) में, एओ ने उत्तर दिया कि कानून में यह पता लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि संपत्ति ग्रहणाधिकार में है या नहीं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राजस्व के हितों की रक्षा करने का इच्छित उद्देश्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय/सीबीडीटी से बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।  |
| 6        | श्रीमति जी1/<br>2015-16                                       | प्रधान आयकर<br>आयुक्त<br>(केन्द्रीय)-1,<br>चेन्नई (केन्द्रीय<br>सर्किल-1(3),<br>चेन्नई) | निर्धारण अधिकारी ने 24/12/2018 में धारा 281बी के तहत ₹ 10.42 करोड़ की अनुमानित कर देनदारी के विरुद्ध दो अचल संपत्तियां (मूल्य इंगित नहीं) कुर्क करने के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती द्वारा धारा 281बी के तहत आदेश जारी करने की तिथि से बहुत पहले 05/04/2018 को संपत्ति बेची गई थी, यह साबित करते हुए कि निर्धारण अधिकारी द्वारा संपत्ति के स्वामित्व का कोई पूर्व-सत्यापन नहीं किया गया था। धारा 281बी के तहत आदेश के तहत की गई कुर्की को बाद में 05/11/2019 को हटा लिया गया क्योंकि यह निर्धारिती के नाम पर नहीं थी। इस प्रकार संपत्ति की अनंतिम कुर्की का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान मामले में विफल हो गया। जैसा कि यह लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) की तिथि पर है, निर्धारण पूरा हो गया था (31/12/2018) जिससे ₹ 20.97 करोड़ की कर मांग हुई। ₹ 20.97 करोड़ की शेष कर मांग अभी भी बकाया है (फरवरी 2021) और मामला वसूली के लिए टीआरओ को भेजा गया था। लेखापरीक्षा (जून 2021) में इसे इंगित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी के उत्तर के साथ-साथ बकाया कर वसूली की वर्तमान स्थिति मंत्रालय/सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |

## परिशिष्ट 18

[पैरा 4.3(ii) देखें]

## उन मामलों का विवरण जो पूर्णतः/आंशिक रूप से ऋण-भारग्रस्त

| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम /नि.व.                         | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)    | ऋण-भार की स्थिति अनुमानित कर देयता/संपत्ति मूल्य (₹ करोड़ में) | मामले का संक्षिप्त विवरण  |
|---------|--|--|--|---|
| 1       | श्रीमति एस9/<br>2011-12 से<br>2017-18            | प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) विशाखापत्तनम (केन्द्रीय सर्किल भुवनेश्वर) | पूर्ण<br><br>0.54/<br>उपलब्ध नहीं                              | निर्धारिती के दो बैंक खातों को कुर्क करने के लिए धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (दिसंबर 2018)। धारा 281बी के तहत प्राप्त आदेश के जवाब में, अधिसूचित अधिकारियों में से एक (अर्थात, बैंक प्रबंधक) ने एओ को सूचित किया (24/12/2018) कि संलग्न खाता पहले से ही यह कहते हुए पूर्व-ऋणभारग्रस्त था कि "पहले से ही बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार है" धारा 281बी के तहत आदेश की प्राप्ति की तिथि के अनुसार ₹ 0.50 करोड़ की मूल राशि के साथ। यह लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) में बताया गया था। लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तारीख तक, ₹ 5.74 करोड़ की मांग करते हुए मूल्यांकन (27/12/2018) पूरा किया गया था, जिसमें से निर्धारिती ने ₹ 0.46 करोड़ का भुगतान किया था, ₹ 5.28 करोड़ का बकाया कर छोड़कर। कर वसूली की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)। |
| 2       | श्री वी1/<br>2011-12 और<br>2012-13 से<br>2018-19 | प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय),<br>बैंगलुरु                              | आंशिक<br><br>447.44 /<br>576.03                                | जैसा कि पैरा 3.3.2 (ii) और 4.2 (i) क्रमशः अध्याय 3 और 4 में चर्चा की गई थी, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 25/01/2019 को जारी किया गया था। निर्धारिती ने स्वेच्छा से (जनवरी 2019) निर्धारण अधिकारी को मैसर्स एम18 लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति अर्थात 52.70 लाख इक्विटी शेयरों की स्थिति के बारे में सूचित किया, जो पहले से ही   |

| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम                                  | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)   | ऋण-भार की स्थिति                    | मामले का संक्षिप्त विवरण   |
|---------|--|--|-------------------------------------|--|
|         |  | (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु)  |                                     | बैंकों से लिए गए संस्थागत ऋणों के विरुद्ध ग्रहणाधिकार में थे। अभिलेख पर कोई सबूत नहीं था कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक दो संपत्तियों पर विचार किया। इसके बजाय, उसने धारा 281बी (फरवरी 2019) के तहत पहले के आदेश को रद्द करके धारा 281बी के तहत एक नया आदेश जारी किया (फरवरी 2019) और निर्धारिती के इक्विटी शेयरों (2.05 करोड़ इक्विटी शेयरों) को उसकी अपनी कंपनी अर्थात् मैसर्स के स्वामित्व में कुर्की किया। मैसर्स सी16 लिमिटेड ने 281बी प्रस्तावों (फरवरी 2019) की टिप्पणियों में, निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी किए जाने के बाद ही भार की स्थिति का तथ्य उनके संज्ञान में आया।   |
| 3       | मैसर्स सी16 लिमिटेड/ 2011-12 और 2012-13 से 2018-19 | प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), बेंगलुरु) | पूर्ण (मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयर) | धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश 24/01/2019 को जारी किया गया था। निर्धारिती ने स्वेच्छा से (जनवरी 2019) निर्धारण अधिकारी को मैसर्स एम18 लिमिटेड के 22.20 लाख इक्विटी शेयरों की अनंतिम रूप से कुर्की संपत्ति के भार की स्थिति के बारे में सूचित किया, जो पहले से ही बैंकों से लिए गए संस्थागत ऋणों के विरुद्ध ग्रहणाधिकार में थे। 281बी प्रस्तावों (फरवरी 2019) की टिप्पणियों में, निर्धारण अधिकारी ने यह भी कहा कि धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही भार की स्थिति का तथ्य उनके संज्ञान में आया। साथ ही, लेखापरीक्षा ने देखा कि मैसर्स एम18 लिमिटेड के शेयरों को जारी करने के लिए एक निरसन आदेश (फरवरी 2019) जारी किए जाने के बाद धारा 281बी के तहत वैकल्पिक संपत्ति कुर्क करने के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रारंभिक कुर्की आदेश के निरसन के बाद मामला असुरक्षित रहा, जिसने 281बी प्रावधानों के प्राथमिक उद्देश्य को विफल कर दिया। निरसन के बाद धारा 281बी के तहत नया आदेश जारी न करने के संबंध में एक विशिष्ट लेखापरीक्षा प्रश्न (दिसंबर 2020) का उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2022) था। जैसा कि यह लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) की तिथि पर है, निर्धारण (दिसंबर 2019) में पूरा किया गया था, जिससे ₹ 6.21 करोड़ की संचयी कर मांग हुई, जिसके विरुद्ध की कर वसूली हुई। ₹ 6.20 करोड़ बकाया कर को छोड़ते हुए ₹ 0.01 करोड़ बनाया |

| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम              | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)   | ऋण-भार की स्थिति   | मामले का संक्षिप्त विवरण   |
|---------|--------------------------------|--|--|--|
|         |                                |  |  | गया था, जो वसूली के साथ पूरी तरह से बकाया था, क्योंकि निर्धारण अपील के अधीन थे। अपील कार्यवाही की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।   |
| 4       | श्री जे2 / 2015-16             | प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल - 1(3), चेन्नई) | पूर्ण<br><br>1.49 / उपलब्ध नहीं  | अचल संपत्ति की कुर्की के लिए धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी (दिसंबर 2018) किया गया था। धारा 281बी के तहत आदेश को जून और दिसंबर 2019 में आगे बढ़ाया गया था। अभिलेख से पता चला है कि कुर्क की गई संपत्ति पहले से ऋण-भारग्रस्त थी, जो धारा 281बी के तहत आदेश जारी होने के बाद ही निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में आई थी। लेखापरीक्षा (मार्च 2021) की तिथि तक, ₹ 1.49 करोड़ की मांग करते हुए निर्धारण (28/12/2017) पूरा किया गया था, जिसमें से निर्धारिती ने ₹ 0.29 करोड़ का भुगतान किया था, ₹ 1.19 करोड़ का बकाया कर छोड़कर। अपील कार्यवाही की वर्तमान स्थिति सीबीडीटी से प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2022)।   |
| 5       | श्री वी18 / 2011-12 से 2017-18 | प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्किल-1(3), अहमदाबाद) | आंशिक (संपत्तियों में से एक बैंक ऋण के विरुद्ध पूर्व-बंधक थी)<br><br>उपलब्ध नहीं / उपलब्ध नहीं | जैसा कि पैरा 4.3 (i) के तहत पहले चर्चा की गई थी, धारा 281बी के तहत प्रारंभिक आदेश जारी किया गया था (22/02/2018) गांधीनगर में एक अपार्टमेंट में दो अचल संपत्तियां, फ्लैट संख्या 303 और 304 कुर्की करने के लिए (मूल्य इंगित नहीं किया गया)। निर्धारण अधिकारी ने बताया (07/05/2018) कि सब-रजिस्ट्रार, गांधीनगर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, कि फ्लैट नंबर 304 वास्तव में निर्धारिती का था और उक्त संपत्ति भी बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारिती द्वारा गिरवी रखी गई थी लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपत्ति के अनंतिम रूप से कुर्की होने के बाद ही निर्धारण अधिकारी द्वारा ऋणग्रस्तता प्रतिमाओं का सत्यापन किया गया था।<br><br>जैसा कि यह लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2021) पर है, दिसंबर 2018 में खोज निर्धारण पूरा हो गया था, जिससे ₹ 341.51 करोड़ की संचयी कर मांग बढ़ गई थी। इसके बाद, मामला फिर से खोला गया और दिनांक 10/02/2022 को धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण आदेश पारित किया गया और मांग को संशोधित कर ₹ 397.5 करोड़ कर दिया गया और अपील वर्तमान में (जुलाई 2022) लंबित है। |

## परिशिष्ट 19क

[पैरा 4.4.1(i) देखें]

उन मामलों का विवरण जहां अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य अधिक पाया गया

| क्र.सं.  | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व                                 | निर्धारण<br>अधिकारी प्रभार          | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>का प्रकार | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | अनुमानित<br>कर देयता<br>पर कुर्की<br>संपत्ति मूल्य<br>का प्रतिशत | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में वृद्धि<br>(154, OGE,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(जनवरी-मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) | नियमित<br>कर<br>भुगतान<br>(जनवरी-<br>मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) |
|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------|---|---|
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल), बेंगलुरु</b> |  |                                     |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 1  | श्री ए12 / 2010-11 से<br>2016-17                           | केन्द्रीय सर्कल-1,<br>मंगलुरु       | 0.18                                     | अचल                         | 5.83  | 3264.8   | 29/12/2017          | 0.14  | 0.02  |
| 2  | श्रीमति एस42 /2010-11,<br>2012-13 और 2014-15 से<br>2016-17 | केन्द्रीय सर्किल-<br>2(2), बेंगलुरु | 4.74                                     | अचल                         | 40.00   | 843.9  | 22/12/2017          | 22.39   | 0.14  |
| 3  | श्री आर1 /2010-11  | केन्द्रीय सर्किल-<br>1(3), बेंगलुरु | 8.00                                     | दोनों                       | 18.59   | 232.4  | 31/12/2017          | 10.68   | 0   |
| 4  | श्रीमति एस23 / 2010-11 से<br>2016-17                       | केन्द्रीय सर्कल -<br>1, मंगलुरु     | 1.30                                     | अचल                         | 2.80  | 214.8  | 29/12/2017          | 0.60  | 0.16  |
| 5  | मैसर्स ए41 लिमिटेड/<br>2013-14 से 2016-17                  | केन्द्रीय सर्किल-<br>1(3), बेंगलुरु | 40.00                                    | अचल                         | 81.42   | 203.6  | 29/12/2017          | 50.91   | 16.85   |

| क्र.सं.   | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व                      | निर्धारण<br>अधिकारी प्रभार           | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>का प्रकार | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | अनुमानित<br>कर देयता<br>पर कुर्की<br>संपत्ति मूल्य<br>का प्रतिशत | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में वृद्धि<br>(154, OGE,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(जनवरी-मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) | नियमित<br>कर<br>भुगतान<br>(जनवरी-<br>मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) |
|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------|---|---|
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, मुंबई</b>  |   |                                      |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 6   | मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12           | केन्द्रीय सर्किल-<br>2(2), मुंबई     | 0.65 अचल                                 |                             | 2.15  | 333.3  | 22/12/2018          | 0   | 0   |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-3, मुंबई</b>  |   |                                      |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 7   | श्रीमति एन17/ 2010-11 से 2016-17                | केन्द्रीय सर्किल-<br>5(1), मुंबई     | 3.73 अचल                                 |                             | 8.85  | 237.3  | 29/12/2017          | 6.31  | 0   |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई</b>  |   |                                      |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 8   | मैसर्स के8 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18 | केन्द्रीय सर्किल-<br>8(1), मुंबई     | 3.61 अचल                                 |                             | 422.81  | 11723.9  | 21/12/2018          | 6.41  | 0   |
| 9   | मैसर्स ई लिमिटेड /2011-12 से 2017-18            | केन्द्रीय सर्किल-<br>8(1), मुंबई     | 13.88 अचल                                |                             | 63.29   | 455.7  | 27/12/2018          | 85.20   | 0.20  |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद</b> |   |                                      |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 10  | श्री जे11/ 2012-13 से 2018-19                   | केन्द्रीय सर्किल-<br>3(4), हैदराबाद  | 0.05 चल                                  |                             | 0.30  | 651.9  | 28/12/2019          | 0.03  | 0.11  |
| 11  | श्री वी24/ 2012-13 से 2018-19                   | केन्द्रीय सर्किल-<br>3(4), हैदराबाद  | 0.10 चल                                  |                             | 0.25  | 239.5  | 28/12/2019          | 0   | 0   |
| 12  | जी6/ 2012-13 से 2018-19                         | केन्द्रीय सर्किल -<br>3(3), हैदराबाद | 2.94 अचल                                 |                             | 60.09   | 2,043.87   | 12/12/2019          | 35.76   | 0.60  |

| क्र.सं.   | निर्धारिता का नाम<br>/नि.व       | निर्धारण<br>अधिकारी प्रभार            | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>का प्रकार | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | अनुमानित<br>कर देयता<br>पर कुर्की<br>संपत्ति मूल्य<br>का प्रतिशत | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में वृद्धि<br>(154, OGE,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(जनवरी-मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) | नियमित<br>कर<br>भुगतान<br>(जनवरी-<br>मार्च<br>2021)<br>(₹ करोड़<br>में) |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------|---|---|
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई</b> |                                  |                                       |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 13  | श्री के12 /2011-12 से<br>2017-18 | केन्द्रीय सर्किल-<br>2(1), चेन्नई     | 2.08                                     | दोनों                       | 207.55  | 9,980.20   | 22/01/2019          | 2.65  | 0   |
| <b>प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि</b>         |                                  |                                       |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 14  | श्री ओ/ 2002-03 से 2008-09       | केन्द्रीय सर्किल -<br>2(2), एर्नाकुलम | 5.34                                     | अचल                         | 21.15   | 396.07   | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित   |
| <b>प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली</b>       |                                  |                                       |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 15  | श्री एन15/ 2011-12 से<br>2017-18 | केन्द्रीय सर्किल-<br>20, दिल्ली       | 2.70                                     | अचल                         | 6.59  | 244.07   | 30/12/2018          | 56.17   | 0.60  |
| 16  | श्री एस31/2011-12 से<br>2017-18  | केन्द्रीय सर्किल-<br>20, दिल्ली       |  |                             |   |  | 30/12/2018          | 53.59   | 0.46  |
| <b>प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली</b>       |                                  |                                       |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 17  | मैसर्स डी2 लिमिटेड / 2012-13     | केन्द्रीय सर्किल-<br>27, दिल्ली       | 2.29                                     | अचल                         | 21.28   | 928.4  | 29/12/2019          | 2.79  | 0.51  |
| <b>प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई</b>      |                                  |                                       |  |                             |   |  |                     |   |   |
| 18  | मैसर्स एस39/ 2015-16             | सर्किल -1(1),<br>चेन्नई               | 3.78                                     | अचल                         | 10.83   | 286.6  | 29/12/2017          | 0   | 0   |



## परिशिष्ट 19ख

[पैरा 4.4.1(ii) देखें]

उन मामलों का विवरण जहां अपर्याप्त संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

| क्र.सं.  | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.         | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बंगलुरु</b> |                                     |                                      |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 1  | श्री एस15 / 2008-09 से<br>2018-19   | केन्द्रीय<br>सर्कल, हुबली            | 2.02                                     | अचल   | 1.51  | 75.1  | 01/12/2019          | 1.80   | 0.27   | 2.29  |
| 2  | श्री जी3 / 2013-14 से<br>2018-19    | सीसी-2(1),<br>बंगलुरु                | 31.41                                    | चल  | 22.75   | 72.4  | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | 31.20   |
| 3  | श्रीमति एल5 / 2012-13<br>से 2018-19 | केन्द्रीय<br>सर्किल-2(2),<br>बंगलुरु | 2.90                                     | अचल   | 2.00  | 68.9  | 31/12/2019          | 10.32  | 0.40   | 7.57  |
| 4  | श्री पी8 / 2015-16 से<br>2018-19    | केन्द्रीय<br>सर्किल                  | - 3.07                                   | चल  | 2.76  | 89.9  | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |
| 5  | श्रीमति आर29/<br>2015-16 से 2018-19 | 1(2), बंगलुरु                        |  | चल  |   |   |                     |  |  |   |

| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                             | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार  | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि  | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में)                    | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|---------|---|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|
| 6       | मैसर्स एम1 प्राइवेट<br>लिमिटेड / 2012-13 से<br>2018-19  | केन्द्रीय<br>सर्कल -2,<br>मंगलुरु     | 5.82                                     | अचल   | 3.81  | 65.5  | 31/12/2019   | 5.45   | 0   | निश्चित नहीं  |
| 7       | मैसर्स पी25 प्राइवेट<br>लिमिटेड / 2008-09 से<br>2011-12 | केन्द्रीय<br>सर्कल,<br>पणजी, गोवा     | 24.31                                    | चल  | 15.67   | 63.7  | मुंबई उच्च<br>न्यायालय<br>द्वारा<br>निर्धारण पर<br>रोक लगा दी<br>गई है | मुंबई उच्च<br>न्यायालय<br>द्वारा<br>निर्धारण पर<br>रोक लगा<br>दी गई है                           | मुंबई उच्च<br>न्यायालय<br>द्वारा<br>निर्धारण<br>पर रोक<br>लगा दी<br>गई है | 123.71  |
| 8       | श्री बी2 /2012-13 से<br>2018-19                         | केन्द्रीय<br>सर्किल-2(3),<br>बेंगलुरु | 5.26                                     | अचल   | 2.89  | 54.9  | 27/12/2019   | 6.50   | 0   | 9.40  |
| 9       | श्री एम12 /2012-13 से<br>2018-19                        | केन्द्रीय<br>सर्कल -1,<br>मंगलुरु     | 8.42                                     | अचल   | 2.72  | 32.4  | 26/12/2019   | 30.97  | 0.09  | 3.59  |

| क्र.सं.   | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                           | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार  | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| 10  | श्री एस41 /2012-13 से<br>2018-19                      | केन्द्रीय<br>सर्किल-2(4),<br>बेंगलुरु | 2.99                                     | अचल   | 0.62  | 20.6  | 31/12/2019          | 4.58   | 0.12   | नहीं  |
| 11  | श्री एस25/2010-11 से<br>2016-17                       | केन्द्रीय<br>सर्किल-2(2),<br>बेंगलुरु | 0.99                                     | अचल   | 0.09  | 9.1   | 22/12/2017          | 7.57   | 0  | 0.09  |
| 12  | मैसर्स एस7 प्राइवेट<br>लिमिटेड/ 2008-09 से<br>2017-18 | केन्द्रीय<br>सर्किल -<br>पणजी, गोवा   | 31.13                                    | चल  | 2.88  | 9.2   | 18/06/2021          | 0  | 0  | 55.78   |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, दिल्ली</b> |   |                                       |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 13  | श्री एन13 / 2012-13 से<br>2018-19                     | केन्द्रीय<br>सर्किल-01,<br>दिल्ली     | 81.42                                    | अचल   | 5.91  | 7.3   | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |
| 14  | श्रीमति एस19/ 2012-13<br>से 2018-19                   |                                       |  | अचल   |   |   | 25/12/2019          | 1.01   | 0  |   |

| क्र.सं.  | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                            | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-3, मुंबई</b> |  |                                      |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 15   | मैसर्स ए42 प्राइवेट<br>लिमिटेड / 2010-11 से<br>2016-17 | केन्द्रीय<br>सर्किल-5(1),<br>मुंबई   | 1.28                                     | अचल   | 0.66  | 51.5  | 29/12/2017          | 2.14   | 0  | निश्चित नहीं  |
| 16   | मैसर्स एच लिमिटेड /<br>2010-11 से 2016-17              | केन्द्रीय<br>सर्किल-5(1),<br>मुंबई   | 4.81                                     | अचल   | 2.12  | 44.0  | 29/12/2017          | 11.90  | 0  | निश्चित नहीं  |
| 17   | श्री आर19 / 2011-12<br>से 2017-18                      | केन्द्रीय<br>सर्किल-6(4),<br>मुंबई   | 47.64                                    | चल  | 15.07   | 31.6  | 28/12/2018          | 93.84  | 20.72  | 24.07   |
| 18   | मैसर्स वी10 लिमिटेड /<br>2010-11 से 2016-17            | केन्द्रीय<br>सर्किल-5(1),<br>मुंबई   | 0.60                                     | अचल   | 0.18  | 29.9  | 29/12/2017          | 1.58   | 0  | निश्चित नहीं  |
| 19   | मैसर्स एस14 प्राइवेट<br>लिमिटेड /2010-11 से<br>2016-17 | केन्द्रीय<br>सर्किल-5(1),<br>मुंबई   | 1.15                                     | अचल   | 0.26  | 22.5  | 29/12/2017          | 2.32   | 0  | निश्चित नहीं  |

| क्र.सं.  | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                             | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| 20   | श्री ए38/ 2010-11 से<br>2016-17                         | केन्द्रीय<br>सर्किल-6(2),<br>मुंबई   | 7.50                                     | दोनों   | 0.70  | 9.4   | 29/12/2017          | 11.16  | 0.94   | निश्चित नहीं  |
| 21   | श्री एन18 /2010-11 से<br>2016-17                        | केन्द्रीय<br>सर्किल-5(1),<br>मुंबई   | 22.48                                    | अचल   | 1.86  | 8.3   | 29/12/2017          | 30.41  | 0  | निश्चित नहीं  |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-4, मुंबई</b> |   |                                      |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 22   | श्रीमति एम11 / 2011-<br>12 से 2017-18                   | केन्द्रीय<br>सर्किल-8(1),<br>मुंबई   | 14.58                                    | अचल   | 6.35  | 43.5  | 14/12/2018          | 2.48   | 0  | निश्चित नहीं  |
| 23   | मैसर्स जे16 प्राइवेट<br>लिमिटेड / 2011-12 से<br>2017-18 | केन्द्रीय<br>सर्किल-8(1),<br>मुंबई   | 52.80                                    | अचल   | 9.20  | 17.4  | 19/12/2018          | 38.73  | 13.62  | 343.95  |
| 24   | श्री पी7 / 2010-11 से<br>2016-17                        | केन्द्रीय<br>सर्किल-8(4),<br>मुंबई   | 30                                       | अचल   | 1.75  | 5.8   | 29/12/2017          | 34.80  | 0  | 25.21   |

| क्र.सं.   | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                       | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार       | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|---|---|--|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| 25  | श्रीमति एस48 / 2011-12 से 2017-18                 | केन्द्रीय<br>सर्किल-8(1),<br>मुंबई         | 1.15                                     | अचल   | 0.04  | 3.6   | 10/12/2018          | 0.81   | 0  | नहीं  |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद</b> |   |  |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 26  | मैसर्स वी23 लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18          | केन्द्रीय<br>सर्किल -<br>2(3),<br>हैदराबाद | 85.77                                    | अचल   | 75.00   | 87.4  | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |
| 27  | श्री एम14/ 2013-14 से 2018-19                     | केन्द्रीय<br>सर्किल -<br>2(3),<br>हैदराबाद | 3.49                                     | चल  | 0.79  | 22.6  | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | नहीं  |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-2, चेन्नई</b> |   |  |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 28  | मैसर्स एस48 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19 | केन्द्रीय<br>से सर्कल -<br>2(1), चेन्नई    | 54.96                                    | चल  | 9.32  | 17.0  | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |

| क्र.सं.                                | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.                     | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| 29                                     | मैसर्स एन12 / 2010-11 से 2018-19                | केन्द्रीय<br>सर्कल -<br>2(1), चेन्नई | 81.02                                    | चल  | 7.57  | 9.3   | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |
| 30                                     | श्री सी3 / 2012-13 से 2017-18                   | केन्द्रीय<br>सर्कल -<br>2(1), चेन्नई | 108.45                                   | अचल   | 0.53  | 0.5   | निर्धारण<br>लंबित   | निर्धारण<br>लंबित  | निर्धारण<br>लंबित                                      | निश्चित नहीं  |
| <b>प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल</b> |   |                                      |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 31                                     | मैसर्स ए8 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18 | केन्द्रीय<br>सर्कल-1,<br>रायपुर      | 5.71                                     | अचल   | 4.62  | 80.8  | 26/12/2018          | 1.99   | 0.30   | निश्चित नहीं  |
| 32                                     | मैसर्स एल1 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18 | केन्द्रीय<br>सर्कल-1,<br>रायपुर      |  |   |   |   |                     | 16.75  | 3.16   | निश्चित नहीं  |

| क्र.सं.   | निर्धारिती का नाम<br>/नि.व.        | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | अनुमानित<br>कर देयता<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति का<br>प्रकार<br>(चल/अचल/दोनों) | कुर्की<br>संपत्ति<br>का मूल्य<br>(₹ करोड़<br>में) | कुर्की संपत्ति<br>अनुमानित<br>कर देयता का<br>प्रतिशत है?<br>(प्रतिशत) | निर्धारण की<br>तिथि | संचयी कर<br>मांग में<br>वृद्धि (154,<br>ओजीई,<br>263 आदेश<br>का निवल<br>आदि)<br>(₹ करोड़<br>में) | भुगतान<br>किया गया<br>नियमित<br>कर<br>(₹ करोड़<br>में) | क्या अभिलेख<br>में अन्य<br>संपत्तियां<br>उपलब्ध हैं?<br>(यदि हां, तो<br>सभी<br>संपत्तियों का<br>मूल्य<br>₹ करोड़ में) |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|---|
| 33  | श्रीमति एम4 /2011-12<br>से 2017-18 | केन्द्रीय<br>सर्कल-1,                | 3.01                                     | अचल   | 2.28  | 75.8  | 05/12/2018          | 0  | 0  | निश्चित नहीं  |
| 34  | श्री ए23/ 2011-12 से<br>2017-18    | सर्कल-1,<br>रायपुर                   |  |   |   |   | 07/03/2019          | 0.10   | 0.10   | निश्चित नहीं  |
| <b>प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)-1, चेन्नई</b> |                                    |                                      |  |   |   |   |                     |  |  |   |
| 35  | श्री पी17 /2015-16 से<br>2017-18   | केन्द्रीय<br>सर्कल -<br>2(1), चेन्नई | 8.42                                     | अचल   | 2.72  | 34.0  | 28/12/2018          | 7.08   | 0  | निश्चित नहीं  |



## परिशिष्ट 19ग

(पैरा संख्या 4.4.2 देखें)

281बी मामलों का विवरण जिसमें कुर्क संपत्ति को निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी (वीओ) को भेजा गया था, का विवरण उचित बाजार मूल्य

| क्रम संख्या | निर्धारिती का नाम / नि.व      | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)       | धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख | धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख | वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब <sup>(नोट-1)</sup> दिनों की संख्या) | अनुमानित कर देयता | कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार) | एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार) | धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ |
|-------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|--|
|             |                               |  | वीओ की रिपोर्ट की तारीख                                      | कुर्क संपत्ति का प्रकार         | (₹ करोड़ में)   |                   |  |                                   |  |
| 1           | श्री ए18/ 2010-11 से 2016-17  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -26, दिल्ली) | 0812/2017 30/08/2018   | 06/03/2018 अचल                  | 235   | उपलब्ध नहीं है    | 6.00   | 7.96                              | पहले   |
| 2           | श्री ए17/ 2011-12 से 2017-18  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली) | 15/11/2018 18/03/2019  | 29/11/2019 अचल                  | 112   | उपलब्ध नहीं है    | 1.05   | 1.87                              | पहले   |
| 3           | श्री ए24/ 2011-12 से 2017-18  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली) | 15/11/2018 18/03/2019  | 29/11/2019 अचल                  | 112   | उपलब्ध नहीं है    |  |                                   | पहले   |
| 4           | श्री वी16/ 2012-13 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -32, दिल्ली) | 04/11/2019 उपलब्ध नहीं है                                    | 09/10/2019 अचल                  | लागू नहीं   | उपलब्ध नहीं है    | 0.27   | उपलब्ध नहीं है                    | बाद में  |

| क्रम संख्या | निर्धारिती का नाम / नि.व          | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)           | धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख | धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख | वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब <sup>(नोट-1)</sup> दिनों की संख्या) | अनुमानित कर देयता | कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार) | एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार) | धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ |
|-------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|--|
|             |                                   |  | वीओ की रिपोर्ट की तारीख                                      | कुर्क संपत्ति का प्रकार         | (₹ करोड़ में)   |                   |  |                                   |  |
| 5           | श्री आर16/ 2012-13 से 2018-19     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -32, दिल्ली)     | 04/11/2019<br>उपलब्ध नहीं है                                 | 09/10/2019<br>अचल               | लागू नहीं   | उपलब्ध नहीं है    | 1.09   | उपलब्ध नहीं है                    | बाद में  |
| 6           | श्री डी1 / 2010-11 से 2017-18     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -2 (3), बेंगलुरु) | 13/12/2017<br>उपलब्ध नहीं है                                 | 24/10/2018<br>दोनों             | लागू नहीं   | 30.00             | 0.61   | उपलब्ध नहीं है                    | पहले   |
| 7           | श्री एस15 / 2008-09 से 2018-19    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल, हुबली)           | 13/12/2019<br>20/01/2020                                     | 05/12/2019<br>अचल               | 09  | 2.02              | 0.19<br>(भाग)                                    | 0.21                              | बाद में  |
| 8           | श्रीमति एस23 / 2010-11 से 2016-17 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -1, मंगलुरु)      | उपलब्ध नहीं है<br>17/03/2016<br>एवं<br>18/03/2016            | 18/06/2018<br>अचल               | पता लगाने योग्य नहीं  | 1.30              | 2.80   | 6.32                              | पहले   |

| क्रम संख्या | निर्धारिती का नाम / नि.व        | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)       | धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख | धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख | वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब <sup>(नोट-1)</sup> दिनों की संख्या) | अनुमानित कर देयता                       | कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार) | एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार) | धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ |
|-------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
|             |                                 |  | वीओ की रिपोर्ट की तारीख                                      | कुर्क संपत्ति का प्रकार         |   | (₹ करोड़ में)                           |  |                                   |  |
| 9           | श्री ए12/ 2010-11 से 2016-17    |  | उपलब्ध नहीं है<br>17/03/2016<br>एवं<br>18/03/2016            | 18/06/2018<br>अचल               | पता लगाने योग्य नहीं  | 0.18                                    | 5.83   |                                   | पहले   |
| 10          | श्रीमति पी6/ 2010-11 से 2016-17 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)       | 05/04/2017<br>31/08/2017                                     | 27/09/2017<br>अचल               | 119   | 2.14<br>(₹ 7.12 करोड़ अघोषित आय का 30%) | 6.19   | 8.60                              | पहले   |
| 11          | श्री पी2 / 2011-12 से 2014-15   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि (केन्द्रीय सर्कल - 2, एर्नाकुलम) | 11/10/2017<br>22/12/2017                                     | 28/12/2017<br>अचल               | 42  | उपलब्ध नहीं है                          | 0.36<br>(भाग)                                    | 0.75                              | पहले   |

| क्रम संख्या | निर्धारिती का नाम / नि.व                    | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | धारा 142 ए के तहत वीओ को निर्धारण अधिकारी के संदर्भ की तारीख | धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख | वीओ रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब <sup>(नोट-1)</sup> दिनों की संख्या) | अनुमानित कर देयता                       | कुर्क संपत्ति का मूल्य (281बी रिकॉर्ड के अनुसार) | एफएमवी (वीओ की रिपोर्ट के अनुसार) | धारा 281बी के तहत आदेश से पहले या बाद में किया गया सन्दर्भ |
|-------------|---|--|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
|             |   |  | वीओ की रिपोर्ट की तारीख                                      | कुर्क संपत्ति का प्रकार         | (₹ करोड़ में)   |   |  |                                   |  |
| 12          | जी6 / 2012-13 से 2018-19 <sup>(नोट-2)</sup> | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल-3(3), हैदराबाद) | 28/11/2019<br>30/11/2019                                     | 18/05/2018<br>अचल               | कोई देरी नहीं   | 2.94<br>(₹ 9.80 करोड़ अघोषित आय का 30%) | 39.65  | 63.70                             | बाद में  |

नोट-1: निर्धारण अधिकारी द्वारा संदर्भ की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा को शामिल नहीं करता है;

नोट-2: धारा 133 (6) के तहत किए गए निर्धारण अधिकारी (नवंबर 2019) संदर्भ को कुर्क की गई अचल संपत्तियों की बाजार दरों को निर्धारित करने के लिए क्षेत्राधिकार उप-रजिस्ट्रार अधिकारी को दिया गया था

## परिशिष्ट 20

[पैरा 5.1.1(1)(i) देखें]

धारा 281बी आदेश जो कोई बकाया मांग नहीं होने के कारण नहीं बढ़ाए गए थे

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.            | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)       | 281बी आदेश तब तक वैध | मूल्यांकन की तारीख                                  | संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में) | कर वसूली गई (करोड़ में) <sup>77</sup> |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| 1        | मैसर्स डी15 / 2016-17                | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 5(2), मुंबई) | 24/06/2019           | 26/12/2018  | 0.27  | 0.27                                  |
| 2        | मैसर्स सी13 लिमिटेड/ 2014-15         | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 1(2), मुंबई) | 25/01/2018           | 11/01/2018 (निरसन आदेश 25-01-2018 को जारी किया गया) | 86.58   | 86.58                                 |
| 3        | मैसर्स सी4 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 1, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल 2(2), मुंबई) | 23/04/2019           | 22/12/2018  | 0   | 0                                     |
| 4        | श्री एम6 /2011-12 से 2017-18         | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-17, दिल्ली)    | 11/05/2019           | 15/12/2018  | 0   | 0                                     |
| 5        | श्री ए37 /2010-11 से 2016-17         | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली)    | 20/02/2019           | 27/12/2018  | 0   | 0                                     |

<sup>77</sup> जहां संचयी कर मांग 'शून्य' है और फिर भी इसके प्रति कर वसूली की गई, कर वसूली पर ध्यान नहीं दिया गया और कॉलम '0' दर्शाया गया। जहां संचयी कर मांग कुछ मूल्य दिखाता है किन्तु कर वसूली मांग से अधिक है, कर देय कॉलम को उठाई गयी मांग तक रोका गया।

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                       | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)    | 281बी आदेश तब तक वैध | मूल्यांकन की तारीख | संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में) | कर वसूली गई (करोड़ में) <sup>77</sup> |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 6        | श्री ए22 /2010-11 से 2016-17                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली) | 20/02/2019           | 27/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 7        | मैसर्स आई1 प्राइवेट लिमिटेड /2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली) | 03/11/2020           | 25/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 8        | श्री ए10 /2011-12 से 2017-18                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-19, दिल्ली) | 03/11/2020           | 25/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 9        | श्री वाई2 /2011-12 से 2017-18                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-30, दिल्ली) | 24/05/2020           | 19/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 10       | श्री एल6 /2011-12 से 2017-18                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-30, दिल्ली) | 24/05/2020           | 23/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 11       | श्री पी14 /2011-12 से 2017-18                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)    | 17/03/2019           | 27/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 12       | मैसर्स सी11 / 2011-12 से 2017-18                | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)    | 17/03/2019           | 30/12/2018         | 0   | 0                                     |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                         | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | 281बी आदेश तब तक वैध | मूल्यांकन की तारीख | संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में) | कर वसूली गई (करोड़ में) <sup>77</sup> |
|----------|---|--|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 13       | मैसर्स के13 प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)         | 28/10/2019           | 17/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 14       | श्री ए36/ 2011-12 से 2017-18                      | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)         | 17/03/2019           | 27/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 15       | श्रीमति एम4/ 2011-12 से 2017-18                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)         | 17/03/2019           | 05/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 16       | श्री एस24/ 2011-12 से 2017-18                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)         | 17/03/2019           | 28/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 17       | श्री एस10/ 2011-12 से 2017-18                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)         | 17/03/2019           | 28/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 18       | श्रीमति ए31/2011-12 से 2017-18                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)         | 17/03/2019           | 28/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 19       | श्री ए23/ 2011-12 से 2017-18                      | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल-1, रायपुर)         | 17/03/2019           | 07/03/2019         | 0.10  | 0.10                                  |
| 20       | मैसर्स एस39/ 2015-16                              | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई) | 28/05/2020           | 29/12/2017         | 0   | 0                                     |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.                        | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | 281बी आदेश तब तक वैध | मूल्यांकन की तारीख | संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में) | कर वसूली गई (करोड़ में) <sup>77</sup> |
|----------|--|--|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 21       | मैसर्स टी6 ट्रस्ट/ 2011-12 से 2017-18            | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -2(3), चेन्नई) | 19/04/2020           | 25/02/2019         | 0   | 0                                     |
| 22       | मैसर्स ए7 प्राइवेट लिमिटेड /2013-14 से 2017-18   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -2(3), चेन्नई) | 05/02/2019           | 27/12/2018         | 0   | 0                                     |
| 23       | श्री ए1 /2010-11 से 2014-15                      | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्चि, (केन्द्रीय सर्कल -2, एर्नाकुलम)   | 27/06/2018           | 29/12/2017         | 59.87   | 59.87                                 |
| 24       | श्रीमति पी26 /2011-12 से 2017-18                 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -30, दिल्ली)   | 29/11/2019           | 27/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 25       | श्री एन8 /2012-13 से 2018-19                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -4, मुंबई (केन्द्रीय सर्कल -7(2), मुंबई)   | 25/06/2020           | 28/12/2019         | 0   | 0                                     |
| 26       | मैसर्स एम1 प्राइवेट लिमिटेड / 2015-16 और 2016-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-2, मंगलुरु)     | 03/06/2019           | 31/12/2018         | 0   | 0                                     |



| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम / नि.व.    | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | 281बी आदेश तब तक वैध | मूल्यांकन की तारीख | संचयी कर मांग में वृद्धि (शुद्ध 154, ओजीई, 263 ऑर्डर आदि) (₹ करोड़ में) | कर वसूली गई (करोड़ में) <sup>77</sup> |
|----------|------------------------------|--|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|
| 27       | श्री ए40 /2009-10 से 2015-16 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 20/03/2018           | 26/12/2017         | आईटीएटी द्वारा खारिज किए गए आकलन  | 0                                     |
| 28       | श्री डी5 /2009-10 से 2015-16 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 20/03/2018           | 26/12/2017         | आईटीएटी द्वारा खारिज किए गए आकलन  | 0                                     |

## परिशिष्ट 21

[पैरा 5.1.1(1)(ii) देखें]

धारा 281बी आदेश जो ऑडिट की तारीख (दिसंबर 2020 से मार्च 2021) के अनुसार मान्य थे

| क्र.सं.                                | निर्धारिती का नाम           | नि.व.              | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार         | निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार  | 281बी आदेश तब तक वैध |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>ऐसे मामले जिनमें आकलन लंबित थे।</b> |                             |                    |                                     |                                 |                      |
| 1                                      | श्री ओ                      | 2002-03 से 2008-09 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) कोच्चि    | केन्द्रीय सर्कल- 2 एर्नाकुलम    | 31/05/2021           |
| 2                                      | श्री एम14                   | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल - 2(3) हैदराबाद | 18/07/2021           |
| 3                                      | मैसर्स वी23 लिमिटेड         | 2012-13 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल - 2(3) हैदराबाद | 30/06/2021           |
| 4                                      | श्री ए27                    | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 5                                      | श्रीमति ए28                 | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 6                                      | श्री ए29                    | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 7                                      | श्री ए30                    | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 8                                      | श्रीमति एम16                | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 9                                      | श्रीमति पी18                | 2013-14 से 2018-19 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद | केन्द्रीय सर्कल 3(2), हैदराबाद  | 19/04/2021           |
| 10                                     | मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड | 2008-09 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु | केन्द्रीय सर्कल - पणजी, गोवा    | 08/04/2021           |

| क्र.सं. | निर्धारिती का नाम               | नि.व.                 | प्रधान सीआईटी<br>क्षेत्राधिकार             | निर्धारण<br>अधिकारी<br>क्षेत्राधिकार | 281बी<br>आदेश तब<br>तक वैध |
|---------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| 11      | मैसर्स एस6 प्राइवेट<br>लिमिटेड  | 2008-09 से<br>2017-18 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय),<br>बेंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>पणजी, गोवा      | 08/04/2021                 |
| 12      | मैसर्स एस7 प्राइवेट<br>लिमिटेड  | 2008-09 से<br>2017-18 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय),<br>बेंगलुरु  | केन्द्रीय सर्कल -<br>पणजी, गोवा      | 08/04/2021                 |
| 13      | श्री टी4                        | 2013-14 से<br>2018-19 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय) -2,<br>चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(1) चेन्नई     | 24/03/2021                 |
| 14      | मैसर्स एस48 प्राइवेट<br>लिमिटेड | 2012-13 से<br>2018-19 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय) -2,<br>चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(1) चेन्नई     | 24/03/2021                 |
| 15      | मैसर्स आर21                     | 2010-11 to<br>2018-19 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय) -2,<br>चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(1) चेन्नई     | 24/03/2021                 |
| 16      | मैसर्स एन12                     | 2010-11 to<br>2018-19 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय) -2,<br>चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(1) चेन्नई     | 24/03/2021                 |
| 17      | एस38 ट्रस्ट                     | 2011-12 to<br>2017-18 | प्रधान सीआईटी<br>(केन्द्रीय) -2,<br>चेन्नई | केन्द्रीय सर्कल -<br>2(3) चेन्नई     | 25/04/2021                 |

## परिशिष्ट 22

[पैरा 5.1.1(3) देखें]

धारा 281बी मामलों का विवरण जिसमें वैधता अवधि संबंधित रिकॉर्ड में उल्लिखित नहीं है।

| क्र. सं.      | निर्धारित नाम/ नि.व.                            | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार) | धारा 281बी के तहत आदेश की तारीख | अनुमानित कर देयता  | आकलन पर उठी कर मांग          |
|---------------|---|--|---------------------------------|--------------------|------------------------------|
|               |   |  |                                 | मूल्यांकन की तारीख | कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य |
| (₹ करोड़ में) |   |  |                                 |                    |                              |
| 1             | श्रीमति जे1/ 2012-13 से 2018-19                 | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-1(4), चेन्नई)      | 26/12/2019                      | 2.87               | 3.95                         |
|               |   |  | 30/12/2019                      | उपलब्ध नहीं है     | 3.95                         |
| 2             | श्रीमति एम10 / 2012-13 से 2018-19               | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-1(4), चेन्नई)      | 09/09/2020                      | 2.18               | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |
|               |   |  | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ         | उपलब्ध नहीं है     | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |
| 3             | श्री सी3 / 2012-13 से 2017-18                   | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई)      | 25/09/2019                      | 108.45             | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |
|               |   |  | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ         | 0.53               | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |
| 4             | श्री आर17/ 2012-13 से 2017-18                   | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(1), चेन्नई)      | 20/09/2019                      | उपलब्ध नहीं है     | 3.00                         |
|               |   |  | 30/12/2019                      | उपलब्ध नहीं है     | 3.00                         |
| 5             | श्री आर3 / 2017-18                              | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(3), चेन्नई)      | 20/12/2018                      | 7.67               | 7.67                         |
|               |   |  | 11/12/2020                      | उपलब्ध नहीं है     | 7.49                         |
| 6             | श्री जे4/ 2011-12 से 2017-18                    | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई)      | 05/04/2018                      | 506.82             | 21.35                        |
|               |   |  | 06/02/2020                      | उपलब्ध नहीं है     | 21.35                        |
| 7             | श्री वी22/ 2011-12 से 2017-18                   | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल-2(4), चेन्नई)      | 26/02/2020                      | 8.65               | 12.40                        |
|               |   |  | 03/02/2020                      | उपलब्ध नहीं है     | 12.40                        |
| 8             | मैसर्स ए6 प्राइवेट लिमिटेड / 2015-16 से 2018-19 | प्रा. सीआईटी (केन्द्रीय)- 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्किल -3(1), चेन्नई)     | 14/12/2020                      | 83.50              | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |
|               |   |  | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ         | उपलब्ध नहीं है     | मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ      |

\*\* मंत्रालय/सीबीडीटी से मौजूदा स्थिति का इंतजार (अक्टूबर 2022) किया जा रहा था।

## परिशिष्ट 23

(पैरा देखें 5.1.2)

धारा 281बी के तहत आदेश के लिए विस्तार आदेश जारी करने में देरी

| क्रम सं. | निर्धारिती का नाम /नि.व.                          | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)           | धारा 281बी के तहत आदेश तक मान्य है | धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख | समय अंतराल (दिनों में) |
|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------|
| 1        | श्री ए37 / 2010-11 से 2016-17                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -19, दिल्ली)    | 29/04/2018                         | 20/08/2018                                 | 110                    |
| 2        | मैसर्स डबल्यू1 प्रा. लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल -19, दिल्ली)    | 18/03/2020                         | 04/05/2020                                 | 46                     |
| 3        | श्री ए27 / 2013-14 से 2018-19                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद) | 18/08/2020                         | 20/10/2020                                 | 62                     |
| 4        | श्रीमति ए28 / 2013-14 से 2018-19                  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद) | 05/09/2020                         | 20/10/2020                                 | 45                     |
| 5        | श्री ए29 / 2013-14 से 2018-19                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद) | 18/08/2020                         | 20/10/2020                                 | 62                     |
| 6        | श्री ए30 / 2013-14 से 2018-19                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद) | 18/08/2020                         | 20/10/2020                                 | 62                     |
| 7        | श्रीमति पी18 / 2013-14 से 2018-19                 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (केन्द्रीय सर्कल - 3(2), हैदराबाद) | 18/08/2020                         | 20/10/2020                                 | 62                     |
| 8        | श्री टी1 / 2013-14 से 2018-19                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल -1(3), बेंगलुरु)  | 06/07/2020                         | 10/07/2020                                 | 2                      |
| 9        | श्रीमति एस23 / 2010-11 से 2016-17                 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)       | 07/06/2018                         | 18/06/2018                                 | 11                     |

| क्रम सं | निर्धारिती का नाम /नि.व.                          | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है | धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख | समय अंतराल (दिनों में) |
|---------|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| 10      | श्री ए12 / 2010-11 से 2016-17                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)     | 07/06/2018                            | 18/06/2018                                 | 11                     |
| 11      | श्री एस5 / 2010-11 से 2016-17                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-1, मंगलुरु)     | 07/06/2018                            | 18/06/2018                                 | 11                     |
| 12      | मैसर्स बी3 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)     | 08/09/2020                            | 09/10/2020                                 | 30                     |
| 13      | मैसर्स एस6 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18  | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)     | 08/09/2020                            | 09/10/2020                                 | 30                     |
| 14      | मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (केन्द्रीय सर्कल-पणजी, गोवा)     | 19/06/2018                            | 27/06/2018                                 | 8                      |
| 15      | श्री वी14/ 2010-11 से 2016-17                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल ग्वालियर)          | 31/10/2017                            | 04/12/2017                                 | 34                     |
| 16      | श्री बी9/ 2011-12 से 2017-18                      | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(3) अहमदाबाद)  | 21/08/2018                            | 21/12/2018                                 | 122                    |
| 17      | श्री डी10/ 2011-12 से 2017-18                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(3) अहमदाबाद)  | 14/07/2018                            | 21/12/2018                                 | 160                    |
| 18      | मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड / 2011-12 से 2017-18      | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई) | 12/08/2019                            | 22/08/2019                                 | 10                     |

| क्रम सं | निर्धारिती का नाम /नि.व.             | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)             | धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है | धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख | समय अंतराल (दिनों में) |
|---------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| 19      | श्री वी३ / 2017-18                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(1), चेन्नई)  | 14/09/2019                            | 17/09/2019                                 | 2                      |
| 20      | श्री पी17 / 2015-16 से 2017-18       | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(2), चेन्नई) | 22/11/2017                            | 28/11/2017                                 | 6                      |
| 21      | श्री जे३ / 2015-16                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)  | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 22      | श्री टी३ / 2016-17                   | प्रधान सीआईटी केन्द्रीय<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)    | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 3                      |
| 23      | श्री ए४ /2014-15                     | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)  | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 24      | श्री ए४ / 2015-16                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)      | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 25      | श्री जे२ / 2015-16                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)  | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 26      | श्री टी२ / 2015-16                   | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)  | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 27      | श्री टी२/ 2016-17                    | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल -1(3), चेन्नई)  | 12/06/2020                            | 15/06/2020                                 | 2                      |
| 28      | श्रीमति एम१०/ 2012-2013 से 2018-2019 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)<br>-1, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 1(4), चेन्नई) | 25/06/2020                            | 09/09/2020                                 | 74                     |
| 29      | श्री सी३ / 2012-13 से 2017-18        | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(1) चेन्नई)      | 21/07/2018                            | 28/09/2018                                 | 67                     |

| क्रम सं | निर्धारिती का नाम /नि.व.       | प्रधान सीआईटी क्षेत्राधिकार (निर्धारण अधिकारी क्षेत्राधिकार)         | धारा 281बी के तहत आदेश तब तक मान्य है | धारा 281बी के तहत आदेश के विस्तार की तारीख | समय अंतराल (दिनों में) |
|---------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|
| 30      | श्री जे5 / 2011-12 से 2017-18  | प्रधान सीआईटी केन्द्रीय -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल 2(3) चेन्नई)     | 31/08/2019                            | 20/12/2019                                 | 111                    |
| 31      | श्री वी22 / 2011-12 से 2017-18 | प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय) -2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(4) चेन्नई) | 11/09/2019                            | 26/02/2020                                 | 166                    |



## परिशिष्ट 24

### [पैरा 5.1.3(i) देखें]

ऐसे मामले जिनमें आईटी निपटान आयोग के समक्ष करदाताओं के आवेदन लंबित होने के कारण निर्धारण पूरा नहीं हो पाता है या न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई है।

| क्र. सं.   | निर्धारिती का नाम /नि. व.                         | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार                           | जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया | अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में) |
|--|---|---|--|--|
| <b>क) जिन मामलों में निर्धारिती का आवेदन निपटान आयोग में लंबित है।</b> |   |   |  |  |
| 1  | श्री एन13/ 2012-13 से 2018-19                     | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल-01, दिल्ली)        | 21/04/2020                                       | 81.42 (पूरे समूह के लिए)                     |
| 2  | श्री एस11 / 2017-18                               | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)            | 28/10/2019                                       | 2.17 (पूरे समूह के लिए)                      |
| 3  | श्री आर13 / 2011-12 से 2017-18                    | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), भोपाल (केन्द्रीय सर्कल, ग्वालियर)            | 28/10/2019                                       |  |
| 4  | मैसर्स जे15 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2017-18 | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)       | 12/02/2020                                       | नहीं   |
| 5  | श्री ए16/ 2012-13 से 2017-18                      | प्र.सीआईटी(केन्द्रीय) कोच्ची (केन्द्रीय सर्कल - 1, एर्नाकुलम)       | 03/02/2020                                       | नहीं   |
| 6  | मैसर्स एस38 ट्रस्ट / 2011-12 से 2017-18           | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 2(3), चेन्नई) | 25/04/2021                                       | 170.00                                       |
| 7  | मैसर्स बी15 लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19          | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 2, चेन्नई (केन्द्रीय सर्कल - 3(1), चेन्नई) | 08/01/2021                                       | 40.00  |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम /नि. व.         | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार                         | जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया | अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में) |
|----------|-----------------------------------|---|--|--|
| 8        | श्री वाई1/ 2011-12 से 2017-18     | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 9        | श्री एल7/ 2011-12 से 2017-18      | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 10       | श्री एस46/ 2011-12 से 2017-18     | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 11       | श्री पी27 / 2011-12 से 2017-18    | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 12       | श्रीमति एस44 / 2011-12 से 2017-18 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 13       | श्री बी11/ 2011-12 से 2017-18)    | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 30, दिल्ली) | 11/05/2019                                       | नहीं   |
| 14       | श्री एस40/ 2012-13 से 2018-19     | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 15       | श्री डी3/ 2012-13 से 2018-19      | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 16       | श्री यू1/ 2012-13 से 2018-19      | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली (केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |

| क्र. सं. | निर्धारिती का नाम /नि. व.                        | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार                            | जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया | अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में) |
|----------|--|--|--|--|
| 17       | श्री के9 / 2012-13 से 2018-19                    | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली<br>(केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 18       | श्रीमति जे17/ 2012-13 से 2018-19                 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली<br>(केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 19       | मैसर्स एस18 प्राइवेट लिमिटेड/ 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली<br>(केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 20       | मैसर्स आर4 प्राइवेट लिमिटेड/ 2012-13 से 2018-19  | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली<br>(केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 21       | मैसर्स ए21 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) - 3, दिल्ली<br>(केन्द्रीय सर्कल - 31, दिल्ली) | 10/05/2020                                       | नहीं   |
| 22       | मैसर्स एम9 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19 | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़,<br>(केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 10/12/2019                                       | नहीं   |
| 23       | श्री आर15/ 2011-12 से 2017-18                    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़,<br>(केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 12/03/2019                                       | नहीं   |
| 24       | श्रीमति यू2 / 2011-12 से 2017-18                 | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़,<br>(केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 12/03/2019                                       | नहीं   |
| 25       | श्रीमति डी13 / 2011-12 से 2017-18                | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़,<br>(केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 12/03/2019                                       | नहीं   |

| क्र. सं.  | निर्धारिती का नाम /नि. व.                         | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार                         | जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया | अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|--|--|
| 26  | श्रीमति एस30 / 2011-12 से 2017-18                 | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 12/03/2019                                       | नहीं   |
| 27  | श्री एस27 / 2012-13 से 2018-19                    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 31/01/2020                                       | नहीं   |
| 28  | श्री ए46 / 2012-13 से 2018-19                     | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 28/01/2020                                       | नहीं   |
| 29  | श्री एस17 / 2012-13 से 2018-19                    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 31/01/2020                                       | नहीं   |
| 30  | श्री के11 / 2012-13 से 2018-19                    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 31/01/2020                                       | नहीं   |
| 31  | मैसर्स जी4 प्राइवेट लिमिटेड / 2012-13 से 2018-19  | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, चंडीगढ़, (केन्द्रीय सर्कल-1, चंडीगढ़)       | 31/01/2020                                       | नहीं   |
| <b>ऐसे मामले जिनमें निर्धारिती के आवेदन पर न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी जाती है ।</b> |   |   |  |  |
| 32  | मैसर्स पी25 प्राइवेट लिमिटेड / 2008-09 से 2011-12 | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, बेंगलुरु केन्द्रीय सर्कल, पीएएन'एजेआई, जीओए | 31/12/2018                                       | 24.31  |
| 33  | श्री वाई3 / 2007-08 से 2013-14                    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद)   | 17/12/2018                                       | नहीं   |

| क्र. सं. | निर्धारित का नाम /नि. व.          | प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार एओ क्षेत्राधिकार                       | जिस तिथि को धारा 281बी के तहत आदेश समाप्त हो गया | अनुमानित कर देयता या अघोषित आय (₹ करोड़ में) |
|----------|-----------------------------------|---|--|--|
| 34       | श्री आर20 / 2एफ007-08 से 2013-14  | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 17/12/2018                                       | नहीं   |
| 35       | श्रीमति के7 / 2007-08 से 2013-14  | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 17/12/2018                                       | नहीं   |
| 36       | श्री सी10 / 2007-08 से 2013-14    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 17/12/2018                                       | नहीं   |
| 37       | श्री एस45 / 2007-08 से 2013-14    | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 17/12/2018                                       | नहीं   |
| 38       | श्रीमति एम15 / 2007-08 से 2013-14 | प्र.सीआईटी केन्द्रीय, अहमदाबाद (केन्द्रीय सर्कल-1(1), अहमदाबाद) | 17/12/2018                                       | नहीं   |

## परिशिष्ट 25

## [पैरा 5.1.3(ii) देखें]

धारा 281बी मामलों की संख्या का विवरण जिसमें निर्धारण पूर्ण हो गया था और करदाताओं ने इसके प्रति अपील फाइल की है और धारा 281बी के तहत आदेश की वैधता अवधि अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गई थी।

| प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार          | एओ की संख्या | समीक्षा अवधि के दौरान जारी धारा 281बी के तहत आदेश की संख्या | धारा 281बी मामलों के तहत आदेश की संख्या, जिनमें मूल्यांकन पूरा हो गया | 281बी मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान वैधता समाप्त हो गई थी |
|-----------------------------------|--------------|---|---|--|
| 1                                 | 2            | 3   | 4   | 5  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल     | 02           | 26  | 24  | 01   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता | 03           | 07  | 07  | 06   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता | 01           | 06  | 06  | 06   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई  | 06           | 34  | 31  | 17   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई  | 04           | 34  | 25  | 05   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), कोच्ची    | 02           | 07  | 04  | 04   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु  | 10           | 30  | 22  | 13   |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), अहमदाबाद  | 05           | 33  | 22  | 11   |
| <b>कुल</b>                        | <b>33</b>    | <b>177</b>  | <b>140</b>  | <b>63</b>  |

**परिशिष्ट 26**

(पैरा 5.1.4 देखें)

धारा 281बी के तहत तलाशी की तिथि और प्रारंभिक आदेश की तिथि के बीच समय अंतराल के साथ धारा 281बी आदेश मामलों का विवरण

| प्र.सीआईटी क्षेत्राधिकार<br>(एओ की संख्या) | समीक्षा<br>अवधि के<br>दौरान एसएन<br>281बी जारी<br>किए गए<br>आदेश की<br>संख्या | खोज की तारीख और<br>प्रारंभिक 281बी<br>आदेश की तारीख के<br>बीच समय अंतराल<br>के बारे में जानकारी<br>रखने वाले 281बी<br>मामलों की संख्या | समय अंतराल<br>की सीमा<br>(दिनों में) |
|--|---|--|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                                    |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली (04)      | 11  | 08   | 561-782                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, दिल्ली (04)      | 30  | 28   | 426-824                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, दिल्ली (06)      | 41  | 26   | 686-1,220                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल (02)         | 26  | 26   | 444-771                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, कोलकाता (03)     | 07  | 06   | 708-1,046                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, कोलकाता (01)     | 06  | 06   | 742                                  |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, मुंबई (04)       | 09  | 07   | 649-1,023                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुंबई (05)       | 11  | 10   | 513-961                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-4, मुंबई (04)       | 16  | 16   | 239-1,220                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-1, चेन्नई (06)      | 34  | 10   | 239-944                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय)-2, चेन्नई (04)      | 34  | 03   | 291-868                              |
| प्र.सीआईटी(केन्द्रीय), कोच्ची (02)         | 07  | 07   | 208-1,129                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), बेंगलुरु (10)      | 30  | 28   | 253-956                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद (07)      | 25  | 25   | 232-899                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), विशाखापट्टनम (01)  | 05  | 05   | 434-937                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय) अहमदाबाद (05)       | 33  | 23   | 307-1,120                            |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), राजस्थान (01)      | 03  | 03   | 876-879                              |
| प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), चंडीगढ़ (02)       | 22  | 0  | --                                   |
| <b>कुल (71)</b>                            | <b>350</b>  | <b>237</b>   | <b>208-1,220</b>                     |

